

Disclaimer

The Institute has given the right of translation of the material in hindi and is not responsible for the quality of the translated version. While due care has been taken to ensure the quality of the original material. If any errors or omissions are noticed in Hindi then kindly refer with English version.

अस्वीकरण

यह सुझाया गया उत्तर जिसे वेबसाइट पर डाला गया है, परीक्षा में छात्रों द्वारा दिए गए उत्तर के मूल्यांकन का आधार नहीं है। छात्रों को उनकी पढ़ाई में मदद करने के उद्देश्य से अध्ययन बोर्ड के संकाय द्वारा उत्तर तैयार किए जाते हैं। जहां आवश्यक है वहां वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। हालांकि उत्तर तैयार करने में उचित सावधानी बरती जाती है, यदि कोई त्रुटि या चूक पाई जाती है तो उसे अध्ययन बोर्ड के निदेशक के संज्ञान में लाया जा सकता है। संस्थान परिषद यहां प्रकाशित उत्तरों की शुद्धता या अन्यथा किसी भी अन्य मामले के लिए किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं है।

इसके अलावा, वैकल्पिक पेपर्स- जो केस स्टडी पर आधारित होते हैं, में, प्रश्न में दिए गए तथ्यों या प्रश्न में प्रयुक्त की गई भाषा से प्राप्त विशेष मान्यताओं/ विचारों के आधार पर उत्तर दिए गए हैं। संभव है कि मान्यताओं या लिए गए विचारों के आधार पर केस स्टडीज का उत्तर अलग हो।

पेपर – 6एफ: बहु-विषयक (मल्टी- डिसिप्लिनरी) केस स्टडी

प्रश्न पत्र में केस स्टडी के पांच प्रश्न हैं। परीक्षार्थियों को पांच में से किन्हीं चार केस स्टडी प्रश्नों के उत्तर देने आवश्यक हैं।

आपके कार्य आपके द्वारा दिए जाने वाले उत्तर का हिस्सा होने चाहिए।

केस स्टडी – 1

केस के तथ्य

पीएस लिमिटेड (PSL) इलेक्ट्रिक सर्किट, बोर्ड और स्विचगियर का निर्माता है। इसके उत्पादों को खुदरा नेटवर्क के माध्यम से ग्राहकों को बेचा जाता है और उसके वितरक पूरे देश में हैं। कंपनी इन उत्पादों का निर्यात भी करती है लेकिन विश्व के कुछ ही देशों में ऐसा किया जाता है। कंपनी टर्न-की आधार पर परियोजनाओं को लेती है। कंपनी के संयंत्र हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में हैं। कंपनी का अपने हितधारकों जैसे शेयरधारकों, श्रमिकों और ग्राहकों, के बीच बहुत अच्छी साख है। बाज़ार की अन्य कंपनियों की तुलना में कर्मचारियों के नौकरी छोड़ कर जाने की दर भी बहुत कम है। इतनी कम दर का मुख्य कारण यह है कि कंपनी हमारे देश की 'परिवार' की अवधारणा में विश्वास करती है और कर्मचारियों को बड़े परिवार का हिस्सा मानती है एवं उनका मनोबल ऊंचा रखने के लिए कई योजनाएं चलाती है। कर्मचारी भी निर्णय लेने का हिस्सा होते हैं और उन्हें एक अच्छी तरह से परिभाषित लाभ-साझाकरण योजना के अनुसार कंपनी के लाभ को साझा करने के लिए भी बनाया जाता है। लाभ साझा करने की योजना की शर्तें इस प्रकार हैं-

(क) प्रॉफिट शेयरिंग पूल निम्नलिखित तीन सीमाओं में से सबसे कम होगा:

- (i) कर पूर्व आय का 40%, उस सीमा तक जहां तक यह न्यूनतम स्वीकार्य लक्ष्य लाभ मार्जिन से अधिक है;
- (ii) सकल राजस्व का 0.65%
- (iii) 3.00 करोड़ रु. की पूर्ण राशि

(ख) न्यूनतम स्वीकार्य लक्ष्य लाभ उद्योग के पिछले तीन वर्षों के शुद्ध परिचालन लाभ के औसत के बराबर होगा।

(ग) व्यक्तिगत कर्मचारी अपने वेतन के अनुपात में सभी कर्मचारियों के कुल वेतन के अनुपात में पूल में लाभ साझा करने के हकदार होंगे।

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष की जानकारी इस प्रकार है:

1. पीएसएल की कर पूर्व आय 50 करोड़ रु. है।
2. पीएसएल द्वारा नियुक्त शुद्ध परिचालन संपत्ति 130 कोरड रु. है।
3. वर्ष के दौरान पीएसएल का सकल राजस्व 400 करोड़ रु. है।
4. वर्ष के दौरान कर्मचारियों का कुल वेतन 45 करोड़ रु. था।

उद्योग का बीते 3 वर्षों का औसत शुद्ध परिचालन लाभ शुद्ध परिचालन परिसंपत्तियों का 10% है।

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, पीएसएल कंपनी ने 1 फरवरी 2021 को 5 करोड़ रु. की कुल कीमत पर, अपने उच्चाधिकारियों के अपने ही विभिन्न संयंत्रों की यात्रा सुविधा हेतु दो विमानों की खरीद के आदेश दिए। इन विमानों की डिलीवरी सितंबर 2023 में होगी। कंपनी ने 1 फरवरी 2021 को ऑर्डर देते समय प्रत्येक विमान के लिए 50% का डाउनपेमेंट किया। शेष राशि डिलीवरी पर देय है। कंपनी द्वारा भुगतान किया गया अग्रिम 1 फरवरी 2021 को लिए गए बैंक ऋण द्वारा दिया गया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 3,00,000 रु. के ब्याज का भुगतान किया था। निर्माता ने बताया है कि योजना, पुर्जों के उत्पादन और असेंबली समेत प्रत्येक विमान के निर्माण में 24 से 30 माह का सामान्य समय लगता है। निर्माता 30 सितंबर 2021 से विमान के निर्माण प्रक्रिया आरंभ करेगा। कंपनी के व्यापार देय में विभिन्न व्यापार देय की बकाया राशि शामिल है जो इस प्रकार है - सूक्ष्म उद्यम (75 करोड़ रु.), मध्यम उद्यम (50 करोड़ रु.), लघु उद्यम (55 करोड़ रु.) और अन्य (65 करोड़ रु.)। इसके अलावा, उपरोक्त व्यापार देय में से, बैलेंस शीट तिथि के अनुसार, 40 करोड़ रु. की राशि 6 माह से अधिक समय से बकाया है।

कंपनी पीएस लिमि. ने 300 लाख रु. की संपूर्ण परियोजना (टर्नकी प्रोजेक्ट) को अनुबंध पर लिया है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, कंपनी अनुबंध मूल्य पर 1% की दर से प्रदर्शन बोनस प्राप्त करने की हकदार होगी और यह परियोजना के पूरा होने के समय पर आधारित होगा। दूसरी ओर, यदि परियोजना के पूर्ण होने में देरी होती है, तो अनुबंध में दंड का भी प्रावधान है।

एनबीवी एसोसिएट्स, चार्टेड अकाउंटेंट, 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पीएस लिमि. के वैधानिक लेखा परीक्षक हैं। सीए बी.वी. (CA B.V.) लेखापरीक्षा साझीदार के रूप में लेखापरीक्षा कर रहे हैं। वर्ष के लिए लेखापरीक्षा करते समय उन्हें पता चला कि एक कर्मचारी द्वारा 5 लाख रु. की धोखाधड़ी की गई है।

निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनें

बहुवैकल्पिक प्रश्न

- 1.1 श्री आर, पीएस लिमि. के कर्मचारी हैं और वे प्रॉफिट शेयरिंग प्लान में हिस्सा करने के अधिकारी भी हैं। यदि उनका वार्षिक वेतन 54 लाख रु. है तो उनका हिस्सा कितना होगा:
 - (क) 3.12 लाख रु.
 - (ख) 3.00 लाख रु.
 - (ग) 7.00 लाख रु.
 - (घ) 2.60 लाख रु.
- 1.2 पीएस लिमि. का प्रॉफिट शेयरिंग पूल होगा:
 - (क) 3.00 करोड़ रु.
 - (ख) 7.00 करोड़ रु.
 - (ग) 2.60 करोड़ रु.

- (घ) 2.00 करोड़ रु.
- 1.3 विमान की खरीद हेतु उधार लेने की लागत का पूंजीकरण इस तिथि से आरंभ होना चाहिए:
- (क) 1 फरवरी 2021 से।
- (ख) सितंबर 2023, जब विमानों की डिलीवरी होगी।
- (ग) विमानों के निर्माण आरंभ होने की तिथि यानि 30 सितंबर 2021 से।
- (घ) 1 अप्रैल 2021 से।
- 1.4 कंपनी अधिनियम 2013 की संशोधित अनुसूची III की आवश्यकताओं के अनुसार, बैलेंस शीट में कितनी व्यापार देय राशि को अलग से दिखाया जाएगा?
- (क) 40 करोड़ रु. (6 माह से अधिक समय से बकाया)।
- (ख) 130 करोड़ रु. (सूक्ष्म और लघु उद्यमों का बकाया)।
- (ग) 180 करोड़ रु. (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का बकाया)।
- (घ) अलग से दर्शाने की आवश्यकता नहीं है।
- 1.5 एनबीवी एसोसिएट्स (NBV Associates) को धोखाधड़ी की रिपोर्ट निम्नलिखित को में करनी चाहिए:
- (क) पीएस लिमिटेड की लेखापरीक्षा समिति निदेशक मंडल और लेखापरीक्षक के रिपोर्ट में।
- (ख) पीएस लिमि. के शेयरधारकों को और कोई अन्य रिपोर्टिंग नहीं।
- (ग) केवल लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में।
- (घ) केंद्र सरकार और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में। (2 x 5 = 10 अंक)

वर्णनात्मक प्रश्न

- 1.6 प्रदर्शन प्रबंधन साधन और समूह प्रोत्साहन योजना के रूप में प्रॉफिट शेयरिंग प्लान की व्याख्या करें। (3 अंक)
- 1.7 उधार लेने की लागत को पूंजीकृत करने हेतु योग्य परिसंपत्ति को परिभाषित करें और समझाएं कि पूंजीकरण कब शुरू और समाप्त होना चाहिए। (5 अंक)
- 1.8 "परिवर्ती मुआवज़ा (वैरिएबल कंसिडरेशन)" की व्याख्या करें और भारतीय लेखांकन मानक के संदर्भ में इसकी गणना कैसे की जाएगी। (7 अंक)

केस स्टडी 1 का उत्तर

भाग -क

- 1.1 (क)
- 1.2 (ग)
- 1.3 (ग)
- 1.4 (ख)
- 1.5 (घ)

भाग - ख

1.6 प्रॉफिट शेयरिंग प्लान

प्रॉफिट शेयरिंग एक समूह प्रोत्साहन व्यवस्था है जहां कर्मचारी या कर्मचारियों को नकद बोनस का भुगतान किया जाता है, जिसकी गणना इकाई या संपूर्ण इकाई के संबंधित डिवीजन (उत्तरदायी केंद्र) के रिपोर्ट किए गए लाभ के आधार पर की जाती है। चूंकि लाभ का बंटवारा लाभ पर आधारित होता है, इसलिए, इसे अल्पकालिक प्रदर्शन के आधार पर क्षतिपूर्ति योजना कहा जा सकता है।

प्रॉफिट शेयर प्लान में साझा किए जाने वाले लाभ के प्रतिशत और साझीदारी के लिए योग्य कर्मचारी कौन हैं एवं बोनस पूल में प्रत्येक कर्मचारी/ कार्यकर्ता द्वारा भागीदारी का अनुपात और इनमें से प्रत्येक प्रतिशत या अनुपात की गणना के लिए सूत्र क्या होगा, को परिभाषित करना चाहिए। शेयर में साझीदारी का मानदंड स्कोर या वेतन/पारिश्रमिक हो सकता है।

प्रॉफिट शेयर प्लान का उपयोग कर्मचारियों के बीच उनके प्रदर्शन को बढ़ाने और बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करने हेतु किया जा सकता है। इसलिए प्रॉफिट शेयरिंग प्लान को प्रदर्शन प्रबंधन साधन माना जा सकता है। प्रॉफिट शेयरिंग प्लान को काइज़न कॉस्टिंग का प्री-स्टेज भी माना जा सकता है।

1.7 अर्हक आस्ति (क्वालिफाइंग असेट):

अर्हक आस्ति एक ऐसी परिसंपत्ति है जो अपने इच्छित उपयोग या बिक्री हेतु तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती है (भारतीय लेखांकन मानक 23 का पैरा 5)। वित्तीय परिसंपत्तियां और वस्तुसूची, जो बनाई जाती हैं या अन्यथा बहुत कम समय में तैयार की जाती हैं, अर्हक आस्ति नहीं होती हैं। ऐसी परिसंपत्तियां जो अधिग्रहण के समय बिक्री के लिए इच्छित उपयोग हेतु तैयार हों, अर्हक आस्ति नहीं हैं।

हालांकि भारतीय लेखांकन मानक 23 में पर्याप्त अवधि को परिभाषित नहीं किया गया है, फिर भी सामान्य तौर पर इसे 1 वर्ष या उससे अधिक या इकाई द्वारा जैसा उचित समझा जाए, माना जाता है। दिए गए मामले में, विमान अर्हक आस्ति हैं क्योंकि इच्छित प्रयोग हेतु तैयार होने में पर्याप्त समय (यानी 24 से 30 माह) का समय लग रहा है।

पूँजीकरण का आरंभ:

भारतीय लेखांकन मानक 23 के अनुच्छेद 17 के अनुसार, एक प्रतिष्ठान आरंभ तिथि पर अर्हक आस्ति की लागत के हिस्से के रूप में उधार लागतों का पूँजीकरण आरंभ करेगा। पूँजीकरण हेतु आरंभ तिथि वह तिथि होगी जब इकाई पहली बार निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करती है:

(क) यह परिसंपत्ति के लिए व्यय करता है।

(ख) यह ऋण लेने की लागत लेता है।

(ग) यह ऐसी गतिविधियां करता है जो परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार करने हेतु आवश्यक हैं।

परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग या बिक्री हेतु तैयार करने के लिए आवश्यक गतिविधियों में वास्तविक निर्माण आरंभ करने से पूर्व तकनीकी या प्रशासनिक कार्य जैसे वास्तविक निर्माण आरंभ करने से पूर्व परमिट प्राप्त करने संबंधी गतिविधियां, शामिल हैं।

हालाँकि, इस प्रकार की गतिविधियों में, उत्पादन या विकास न होने की स्थिति में, जिससे संपत्ति की स्थिति बदलती रहती है, की होल्डिंग, शामिल नहीं है।

दिए गए मामले में, विमानों की खरीद हेतु ऋण लागत का पूंजीकरण 30 सितंबर 2021 से आरंभ होना चाहिए क्योंकि इसी तिथि पर उपरोक्त सभी शर्तें पूरी होती हैं। इसलिए 30 सितंबर 2021 उधार लागत के पूंजीकरण की आरंभ तिथि है और तदनुसार उधार लागत का पूंजीकरण 30 सितंबर 2021 से शुरू होगा।

पूंजीकरण की समाप्ति:

भारतीय लेखांकन मानक 23 के पैरा 22 के अनुसार, एक इकाई ऋण लागतों का पूंजीकरण करना तब बंद कर देगी जब अर्हक आस्ति को उसके इच्छित उपयोग या बिक्री हेतु तैयार करने की आवश्यक **सभी गतिविधियों** को पूरा कर लिया जाएगा। कभी-कभी वास्तविक निर्माण कार्य पूरा हो जाता है लेकिन नियमित प्रशासनिक कार्य जैसे सजावट और साज-सज्जा आदि का काम जारी रहता है।

इसके अलावा, भारतीय लेखांकन मानक 23 के पैरा 24 के अनुसार, जब एक इकाई अर्हक आस्ति के निर्माण की प्रक्रिया अलग-अलग हिस्सों में पूरा करती है और जब अन्य हिस्सों पर काम जारी रहने के दौरान प्रत्येक हिस्सा उपयोग किए जाने में सक्षम होता है, तो इकाई ऋण लागत का पूंजीकरण करना तब बंद कर देगी जब अर्हक आस्ति को उसके इच्छित उपयोग या बिक्री हेतु तैयार करने की आवश्यक **सभी गतिविधियों** को पूरा कर लिया जाएगा। यदि एक हिस्सा दूसरे हिस्से पर निर्भर है तो ऋण लागत का पूंजीकरण तब तक जारी रखें जब तक कि पूरी संपत्ति काफी हद तक पूर्ण न कर ली जाए।

1.8 परिवर्ती मुआवजा (वैरिएबल कंसिडरेशन) की परिभाषा

यदि किसी अनुबंध में दिए गए मुआवजा में परिवर्तनीय राशि शामिल है तो इकाई मुआवजे की उस राशि का अनुमान लगाएगी जो इकाई को ग्राहक से वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं के हस्तांतरण के बदले मिलेगी (भारतीय लेखांकन मानक 115 का पैरा 50)।

छूट, बट्टा, धनवापसी, क्रेडिट, मूल्य में रियायत, प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस या ऐसे ही अन्य साधनों के कारण मुआवजे की राशि में भिन्नता हो सकती है। वादा किए गए मुआवजे की राशि भी भिन्न हो सकती है यदि मुआवजा के लिए एक इकाई की पात्रता भविष्य की घटना के घटित होने या न होने पर निर्भर हो। जैसे, मुआवजे की राशि परिवर्तनशील होगी यदि कोई उत्पाद वापसी अधिकार के साथ बेची गई हो या एक निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने पर प्रदर्शन बोनस के रूप में निश्चित राशि देने का वादा किया गया हो। (भारतीय लेखांकन मानक 115 का पैरा 51)।

कुछ अनुबंधों में, जुर्माना निर्दिष्ट होते हैं। ऐसे मामलों में, जुर्माने की गणना अनुबंध के सार के अनुसार की जाएगी। जहाँ जुर्माना लेन-देन की कीमत के निर्धारण में निहित है, वहाँ, परिवर्तनीय मुआवजे का अंश होगी। (भारतीय लेखांकन मानक 115 का 51ए)।

परिवर्तनीय मुआवजे के लिए लेखांकन

इसके अलावा, भारतीय लेखांकन मानक 115 के पैरा 53 में कहा गया है कि एक इकाई निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक का उपयोग कर परिवर्तनीय मुआवजे की राशि का अनुमान लगाएगी, जिसके आधार पर इकाई उस मुआवजे की राशि का बेहतर अनुमान लगाने की आशा करती है जिसकी वह हकदार होगी:

(क) **अपेक्षित मूल्य**— अपेक्षित मूल्य संभावित मुआवज़ा राशियों की श्रेणी में प्रायिकता- भारित राशियों का योग है। यदि एक इकाई के पास समान विशेषताओं वाले अनुबंधों की एक बड़ी संख्या है तो एक अपेक्षित मूल्य परिवर्तनीय मुआवज़े की राशि का उचित अनुमान हो सकता है।

(ख) **सबसे अधिक संभावित राशि** — सबसे अधिक संभावित राशि संभावित मुआवज़ा राशियों की श्रेणी में सबसे अधिक संभावित राशि है (यानी अनुबंध का एकल सर्वाधिक संभावित परिणाम)। यदि अनुबंध के केवल दो संभावित परिणाम हैं (जैसे, एक इकाई को प्रदर्शन बोनस मिलता है या नहीं) तो सबसे संभावित राशि परिवर्तनीय मुआवज़े की राशि का उचित अनुमान हो सकती है।

इकाई की आवश्यकता होती है कि वह अपेक्षित मूल्य विधि और सबसे अधिक संभावित राशि विधि के बीच चयन करे। चुनाव उस पद्धति पर आधारित है जो हकदार होने के लिए मुआवज़े की राशि का बेहतर अनुमान लगाती है। यही है, चयनित पद्धति का मतबल एक स्वतंत्र विकल्प नहीं है। बल्कि, एक इकाई एक ऐसी विधि का चयन करती है जो अनुबंध के विशिष्ट तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर सबसे उपयुक्त है।

उपरोक्त के अनुसार, इस मामले में पीएस लिमि. को राजस्व मान्यता की सभी शर्तों को पूरा करते हुए केवल 300 लाख रु. की सीमा तक राजस्व की राशि की पहचान करनी चाहिए। इस मामले में, प्रदर्शन बोनस की शेष राशि (राजस्व के अतिरिक्त) या जुर्माना (राजस्व से कटौती के रूप में) जो कि भविष्य की घटना से जुड़ा हुआ है, को परियोजना के पूरा होने के बाद मान्यता दी जानी चाहिए।

केस स्टडी - 2

केस के तथ्य:

टीपी लिमिटेड एक कंपनी है जो विभिन्न प्रकार के माल-असबाब का काम करती है। पिछले वर्ष कंपनी ने 1000 करोड़ रु. का कारोबार किया। कंपनी का प्रदत्त इक्विटी पूंजी 15 करोड़ रु. है। कंपनी एक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी है। कंपनी के कार्यालय मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में हैं। कंपनी माल "X" में कारोबार करती है जो मुख्य रूप से मुंबई के बाज़ार में बेचा जाता है। हालांकि, कंपनी के पास इस उत्पाद के संबंध में कोलकाता के बाज़ार से भी मांग आ रही है। कंपनी ने इस संबंध में निम्नलिखित जानकारी आंकड़े जुटाए हैं

	मुंबई बाज़ार	कोलकाता बाज़ार
मात्रा (वार्षिक, लाख रु. में)	30	120
लेन-देन (दैनिक)	25	65
मूल्य (अवधि के अंत में, रु. में)	110	107
परिवहन लागत (रु.)	(8)	(4)
संभावित उचित मूल्य (रु.)	102	103
लेन-देन लागत (रु.)	(3)	(5)
शुद्ध आय (रु.)	99	98

मेसर्स वाईएम एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी के लेखापरीक्षक हैं। कंपनी की एक लेखापरीक्षा समिति और जोखिम प्रबंधन समिति है। दोनों समितियों की वर्ष में दो बार बैठक हुई। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की एक बैठक में, टीपी लिमिटेड की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा की गई।

श्री यशवर्धन, लेखापरीक्षा साझीदार, भी एक बैठक में उपस्थित थे और लेखापरीक्षा समिति ने श्री यशवर्धन को टिप्पणी, यदि कोई हो, देने को कहा था। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में परिवर्तन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय, मतदान द्वारा बहुमत से लिए गए थे।

कंपनी के प्रबंधन निदेशक श्री तारा प्रसाद और कंपनी सचिव सुश्री जूली हैं। कंपनी ने सीए विनोद को सीएफओ नियुक्त किया है। श्री विनोद एक अन्य गैर-सूचीबद्ध कंपनी में भी सीएफओ के पद पर कार्यरत हैं। सुश्री जूली ने 1 जनवरी 2021 को कंपनी सचिव के पद से इस्तीफा दे दिया था।

एमएक्स लिमिटेड टीपी लिमिटेड की सहयोगी कंपनी है। एनसीएलटी (NCLT) ने समझौता और व्यवस्था की योजना पर विचार करने हेतु सदस्यों की एक बैठक आयोजित करने का आदेश पारित किया जिसकी आवश्यकता कंपनी के लेनदारों के साथ कुछ विवादों के कारण पैदा हुई है। कंपनी ने कुल 30 लाख शेयर रखने वाले अपने सभी 1000 सदस्यों को बैठक की सूचना भेजी है। बैठक की तिथि पर, 18 लाख शेयर रखने वाले केवल 580 सदस्यों ने बैठक में हिस्सा लिया, 14 लाख शेयर रखने वाले 400 सदस्यों ने समझौते और व्यवस्था की योजना के पक्ष में मतदान किया एवं शेष ने योजना के विरोध में मत डाले।

निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर दें

बहुवैकल्पिक प्रश्न

2.1 क्या कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में अपनी लेखापरीक्षा समिति और जोखिम प्रबंधन समिति की दो बार बैठक करना उचित है?

- (क) हाँ, कंपनी का निर्णय उचित है क्योंकि कंपनी की आवश्यकता के अनुसार दोनों समितियों की बैठकें आयोजित की गईं और महत्वपूर्ण मामलों पर विधिवत चर्चा की गई। बैठक आयोजित करने में खर्च होता है और जब इन दोनों बैठकों में सभी मामलों पर चर्चा कर ली गई थी तो यह कंपनी की समझदारी है कि उसने और अधिक बैठकों का आयोजन नहीं किया।
- (ख) नहीं, कंपनी का दोनों समितियों की दो बैठकें आयोजित करना न्यायोचित नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा समिति की एक वर्ष में कम-से-कम चार बार बैठक होनी चाहिए और जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक वर्ष में एक बार हो सकती है।
- (ग) लेखा परीक्षा समिति की दो बैठकें आयोजित करना कंपनी के लिए न्यायोचित नहीं है क्योंकि लेखा परीक्षा समिति को एक वर्ष में कम-से-कम चार बार मिलना चाहिए; हालाँकि, कंपनी जोखिम प्रबंधन समिति की दो बैठकें कर सकती है।
- (घ) कंपनी अपने स्थान पर सही है क्योंकि मामलों पर चर्चा करने के लिए कंपनी की आवश्यकता के अनुसार कंपनी की विभिन्न समितियों की बैठकें आयोजित करना निदेशक मंडल के विवेक पर है।

- 2.2 श्री यशवर्धन द्वारा भाग लेने वाली लेखापरीक्षा समिति की बैठक के संबंध में श्री यशवर्धन द्वारा किन सभी अधिकारों का प्रयोग किया जा सकता है?
- (क) श्री यशवर्धन को टीपी लिमिटेड की लेखापरीक्षा समिति की बैठक में सुनने और मतदान करने का अधिकार है, जब वह ऑडिटर की रिपोर्ट पर विचार करती है।
- (ख) श्री यशवर्धन को टीपी लिमिटेड की लेखापरीक्षा समिति की बैठक में वोट देने का अधिकार है जब वह लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करती है।
- (ग) श्री यशवर्धन, वैधानिक लेखापरीक्षक होने के नाते टीपी लिमिटेड की लेखा परीक्षा समिति की बैठक में सुनवाई और मतदान करने का अधिकार नहीं रखते हैं, भले ही वह लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करें। ऐसे अधिकार कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों के पास निहित हैं।
- (घ) श्री यशवर्धन को टीपी लिमिटेड की लेखापरीक्षा समिति की बैठक में सुनवाई का अधिकार है जब वह लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करती है लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होगा।
- 2.3 माल "X" का उचित मूल्य होगा
- (क) 102 रु.
- (ख) 103 रु.
- (ग) 99 रु.
- (घ) 98 रु.
- 2.4 टीपी लिमिटेड ने सीए विनोद को अपना सीएफओ नियुक्त कर कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है:
- (क) कानून का कोई उल्लंघन नहीं है क्योंकि पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधन कर्मियों एक से अधिक कंपनी में पद धारण कर सकते हैं, भले ही वह उसकी सहायक कंपनी न हो।
- (ख) हाँ, कंपनी कानून का उल्लंघन है क्योंकि पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों एक ही समय में इसकी सहायक कंपनी को छोड़कर एक से अधिक कंपनी में कार्यालय नहीं रख सकते हैं।
- (ग) सीएफओ की नियुक्ति अनिवार्य आवश्यकता नहीं है, इसलिए, सीएफओ की नियुक्ति जो अन्य कंपनी में भी सीएफओ है, कानून के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है।
- (घ) 2 अन्य पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधन कर्मियों हैं और इसलिए, यदि एक व्यक्ति किसी अन्य कंपनी में कार्यालय रखता है, तो कानून के प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है।
- 2.5 सुश्री जूली के इस्तीफे से सृजित रिक्ति भरी जाएगी:
- (क) ऐसी रिक्ति की तारीख से 6 महीने के भीतर बोर्ड की बैठक में बोर्ड द्वारा।
- (ख) ऐसी रिक्ति की तिथि से 6 माह के भीतर प्रबंध निदेशक द्वारा।
- (ग) ऐसी रिक्ति की तिथि से 6 माह के भीतर शेयरधारकों द्वारा उनकी बैठक में।
- (घ) निदेशक मंडल की इच्छा पर रिक्ति को भरने के लिए कोई समय सीमा नहीं है।

(2 x 5 = 10 अंक)

वर्णनात्मक प्रश्न

- 2.6. कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर / LODR) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार लेखापरीक्षा समिति के गठन की व्याख्या करें। (4 अंक)
- 2.7. भारतीय लेखांकन के संदर्भ में 'उचित मूल्य' शब्द की व्याख्या करें। 'प्रमुख बाज़ार' शब्द को भी परिभाषित करें और यह कैसे निर्धारित होता है। (3 अंक)
- 2.8. दिए गए मामले के अध्ययन के संदर्भ में, स्पष्ट करें कि योजना को सदस्यों से उचित स्वीकृति मिली या नहीं। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेनदारों या सदस्यों के साथ समझौते या व्यवस्था की प्रक्रिया की भी व्याख्या करें। (8 अंक)

केस स्टडी 2 के उत्तर

भाग – क

- 2.1 (ग)
2.2 (घ)
2.3 (ख)
2.4 (ख)
2.5 (क)

भाग- ख

2.6 लेखापरीक्षा समिति का गठन:

- I. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के तहत लेखापरीक्षा समिति: (i) कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 6 के साथ पठित धारा 177 के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी और कंपनियों के निम्नलिखित वर्ग लेखापरीक्षा समिति का गठन करेंगे-

- (क) दस करोड़ रु. या उससे अधिक की प्रदत्त पूंजी वाली सभी सार्वजनिक कंपनियां;
(ख) एक सौ करोड़ रु. या उससे अधिक का कारोबार करने वाली सभी सार्वजनिक कंपनियां;
(ग) सभी सार्वजनिक कंपनियाँ जिनका बकाया ऋण, डिबेंचर और जमा, का योग 50 करोड़ रु. से अधिक का हो।

हालांकि, गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों के निम्नलिखित वर्ग को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा:

- (1) संयुक्त उद्यम;
(2) पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी; और
(3) धारा 455 के तहत कवर की गई निष्क्रिय कंपनी।

व्याख्या- प्रदत्त शेयर पूंजी या टर्नओवर या बाकाय ऋण, डिबेंचर और जमा, जैसा भी मामला हो, जैसा कि पिछले लेखापरीक्षित वित्त विवरण की तिथि पर थे, इस नियम के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

धारा 139(11) के अनुसार, जहाँ एक कंपनी को धारा 177 के तहत लेखापरीक्षा समिति का गठन करना आवश्यक है, इस धारा के तहत एक लेखापरीक्षक को आकस्मिक रिक्ति को भरने समेत सभी नियुक्तियाँ ऐसी समिति की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर करनी होगी।

(ii) लेखापरीक्षा समिति में कम-से-कम तीन निदेशक होंगे जिनमें स्वतंत्र निदेशकों का बहुमत होगा। यहाँ ध्यान रखा जा सकता है कि इसके अध्यक्ष समेत लेखापरीक्षा समिति के अधिकांश सदस्य वित्तीय विवरणों को पढ़ने और समझने में सक्षम व्यक्ति होंगे।

II. एलओडीआर (LODR) विनियमों के अधीन लेखापरीक्षा समिति: प्रत्येक सूचीबद्ध इकाई निम्नलिखित के अधीन संदर्भ शर्तों के अनुसार एक अर्हक और स्वतंत्र लेखा परीक्षा समिति का गठन करेगी:

1. लेखापरीक्षा समिति में सदस्यों के रूप में कम-से-कम तीन निदेशक होंगे। लेखापरीक्षा समिति के दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे, हालांकि, बकाया एसआर (श्रेष्ठ अधिकार) इक्विटी शेयरों वाली सूचीबद्ध इकाई के मामले में, लेखापरीक्षा समिति में केवल स्वतंत्र निदेशक होंगे।
2. लेखापरीक्षा समिति के सभी सदस्य वित्तीय रूप से साक्षर (वित्तीय मामलों के जानकार) होंगे और कम-से-कम एक सदस्य के पास लेखांकन या संबंधित वित्त प्रबंधन में विशेषज्ञता होनी चाहिए।

व्याख्या (i): “वित्तीय रूप से साक्षर” शब्द का अर्थ है वित्तीय विवरणों यानी बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाता एवं नकद प्रवाह, को पढ़ने और समझने की बुनियादी समझ।

व्याख्या (ii): एक सदस्य को लेखांकन या संबंधित वित्त प्रबंधन विशेषज्ञ माना जाएगा यदि उसके पास वित्त या लेखा में अनुभव हो, या लेखांकन में आवश्यक पेशेवर प्रमाणन हो या कोई अन्य तुलनीय अनुभव या पृष्ठभूमि हो जिसके कारण व्यक्ति की वित्तीय विशेषज्ञता का पता चलता हो, जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्त अधिकारी या वित्तीय जांच-पड़ताल करने वाले अन्य वरिष्ठ अधिकारी का होना या ऐसे पदों पर काम करना शामिल है।

3. लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होंगे और वह शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होंगे।
4. कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।
5. लेखापरीक्षा समिति, अपने विवेक से, वित्त निदेशक या वित्त कार्य प्रमुख, आंतरिक लेखापरीक्षा के प्रमुख और वैधानिक लेखापरीक्षक के प्रतिनिधि एवं ऐसे अन्य अधिकारियों को समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित करेगी, बशर्तें कभी-कभी, लेखापरीक्षा समिति सूचीबद्ध इकाई के किसी भी अधिकारी की उपस्थिति के बिना भी बैठक कर सकती है।

2.7 उचित मूल्य की परिभाषा

भारतीय लेखांकन मानक 113 उचित मूल्य को उस मूल्य के रूप में परिभाषित करता है जो माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच व्यवस्थित लेनदेन में एक परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या जिसका भुगतान देयता को स्थानांतरित करने के लिए किया जाएगा।

उचित मूल्य माप किसी विशेष आस्ति या दायित्व के लिए होता है। इसलिए, एक इकाई आस्ति या दायित्व की विशेषताओं को ध्यान में रखेगी यदि बाजार सहभागी माप तिथि पर आस्ति या दायित्व का मूल्य निर्धारण करते समय उन विशेषताओं को ध्यान में रखेंगे।

मुख्य बाजार की परिभाषा

मुख्य बाजार वह बाजार है जो आमतौर पर ऐसा स्थान होता है जहाँ परिसंपत्तियों/ देयताओं का लेनदेन सबसे अधिक मात्रा में और उच्च स्तर की गतिविधियों के साथ किया जाता है, जिसकी तुलना समान लेनदेन के लिए उपलब्ध किसी अन्य बाजार से की जाती है। यदि कहीं मुख्य बाजार है, तो बाजार में कीमतों का उपयोग किया जाना चाहिए भले ही अन्य बाजार में कीमतें अधिक लाभप्रद हों।

मुख्य बाजार में उचित मूल्य का निर्धारण

लेन-देन की लागत एक परिसंपत्ति या देयता की विशेषता नहीं है बल्कि लेनदेन की एक विशेषता है। इसलिए, ऐसे मुख्य बाजारों से उचित मूल्यों का आकलन करते समय आगे किसी लेनदेन लागत पर विचार करना उचित नहीं होगा। यह वह लागत है जो संपत्ति को उसके वर्तमान स्थान से उसके मुख्य (या उससे लाभप्रद) बाजार में ले जाने के लिए खर्च की जाएगी। इसलिए, परिवहन लागत पर विचार किया जाएगा, यदि यह लेन-देन की गई संपत्ति/ देयता जैसे- माल/ असबाब, का एक अंतर्निहित हिस्सा हो।

- 2.8 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 (6) के अनुसार, जहां आयोजित बैठक में अधिकांश सदस्य $\frac{1}{4}$ हिस्सा का प्रतिनिधित्व कर रहे हों, मतदान व्यक्तिगत रूप से, या प्रॉक्सी या पोस्टल बैलेट द्वारा किया जाएगा, किसी भी अनुबंध या व्यवस्था के लिए सहमत होंगे और क्या ऐसे अनुबंध या व्यवस्था न्यायलय के आदेश द्वारा स्वीकृत हैं। $\frac{1}{4}$ हिस्सा का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकांश व्यक्ति निम्नलिखित में गिने जाएंगे:

- लेनदार, या
- लेनदारों का वर्ग, या
- सदस्य, या
- सदस्यों का वर्ग, जैसा भी मामला हो,

बहुमत, संख्या और मान, में दोहरी है। मतदान करने वालों का साधारण बहुमत ही पर्याप्त है। जबकि, 'तीन- चौथाई' आवश्यकता मान से संबंधित है। बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों द्वारा धारित प्रदत्त पूंजी के संदर्भ में तीन-चौथी मूल्य की गणना की जानी है।

इस मामले में, 1,000 सदस्यों (30 साख शेयरों के धारक) में से, 580 सदस्यों ने बैठक में हिस्सा लिया। चूंकि 400 सदस्यों ने योजना के पक्ष में मतदान किया, संख्या में बहुमत से संबंधित आवश्यकता (यानी 291) पूरी हुई। बैठक में हिस्सा लेने वाले 580 सदस्यों के पास 18,00,000 शेयर थे, इसका तीन- चौथाई होता - 13,50,000 और 400 सदस्यों, जिन्होंने योजना के पक्ष में मतदान किया, के पास 14,00,000 शेयर

थे। चूँकि दोनों आवश्यकताएँ पूरी हो रही हैं, तो योजना को अपेक्षित बहुमत के साथ अनुमोदित किया जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230, अनुमोदन एवं एनसीएलटी (NCLT) के अधिकारों के लिए, किसी भी अनुबंध एवं व्यवस्था, लेनदारों, सदस्यों एवं प्रतिभूति धारकों की बैठकों के लिए पालन की जाने वाली बुनियादी प्रक्रियाओं से संबंधित है। इस धारा के अनुसार:

(1) **समझौते/व्यवस्था के लिए दायर आवेदन पर बैठक बुलाने के ट्रिब्यूनल के अधिकार [उप-धारा 1]]:**

जहां एक समझौता या व्यवस्था के बीच प्रस्तावित है—

(क) एक कंपनी और उसके लेनदारों या उनमें से कोई भी वर्ग; या

(ख) एक कंपनी और उसके सदस्य या उनमें से कोई वर्ग,

ट्रिब्यूनल, कंपनी या किसी लेनदार या कंपनी के सदस्य के आवेदन पर, या बंद की जा रही किसी कंपनी के, परिसमापक, इस अधिनियम के तहत या दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत नियुक्त, जैसा भी मामला हो, के मामले में, लेनदारों या लेनदारों के वर्ग, या सदस्यों या सदस्यों के वर्ग, जैसा भी मामला हो, की बैठक बुलाने, आयोजित करने का आदेश दे सकती है और ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार आयोजित करने को कह सकती है।

(2) **आवेदक द्वारा प्रकटीकरण [उप-धारा (2)]:** कंपनी या कोई अन्य व्यक्ति, जिसके द्वारा आवेदन किया गया है, हलफनामे द्वारा ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रकटीकरण करेगा—

(क) कंपनी से संबंधित सभी वास्तविक तथ्य, जैसे- कंपनी की नवीनतम वित्तीय स्थिति, कंपनी के खातों पर लेखापरीक्षक की नवीनतम रिपोर्ट और कंपनी के खिलाफ किसी भी जांच या कार्यवाही की लंबितता;

(ख) समझौते या व्यवस्था में शामिल कंपनी की शेयर पूंजी में कमी, यदि हो;

(ग) **कॉर्पोरेट ऋण पुनर्चना की कोई भी योजना** जिसकी सहमति, मूल्य के सुरक्षित लेनदारों के पचहत्तर प्रतिशत से कम न हो, निम्नलिखित समेत—

(i) निर्धारित प्रपत्र में एक लेनदार के उत्तरदायित्व का कथन;

(ii) अन्य सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा उपाय;

(iii) लेखापरीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया कि कॉर्पोरेट ऋण पुनर्गठन के बाद कंपनी की निधि की आवश्यकताएं बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए अनुमानों के आधार पर तरलता जांच के अनुरूप होंगी;

(iv) जहां कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट कॉर्पोरेट ऋण पुनर्गठन दिशानिर्देशों को अपनाने का प्रस्ताव करती है, उस आशय का कथन; और

(v) एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा कंपनी के शेयरों एवं संपत्तियों और सभी परिसंपत्तियों, मूर्त और अमूर्त, चल और अचल, के संबंध में मूल्यांकन रिपोर्ट।

(3) **ट्रिब्यूनल के आदेश पर आयोजित बैठक की सूचना [उप-धारा (3)]:** जहां ट्रिब्यूनल के एक आदेश के अनुसरण में बैठक बुलाने का प्रस्ताव है, ऐसी बैठक की सूचना निम्नलिखित को-

- सभी लेनदार या लेनदार के वर्ग, और

अंतिम परीक्षा: मई, 2022
(FINAL EXAMINATION: MAY, 2022)

- सभी सदस्यों या सदस्यों के वर्ग के लिए,
- और कंपनी के डिबेंचर- धारकों के लिए,
- धारा 230(5) के तहत क्षेत्रीय नियामक

कंपनी में पंजीकृत पते पर व्यक्तिगत रूप से भेजी जाएगी।

सूचना के साथ संलग्नक: बैठक की सूचना के साथ निम्नलिखित का प्रकटीकरण करने वाला एक विवरण होगा:

- समझौते या व्यवस्था का विवरण,
- मूल्यांकन रिपोर्ट की एक प्रति, यदि कोई हो, और
- लेनदारों, प्रमुख प्रबंधन कर्मियों, प्रमोटरों और गैर-प्रमोटर सदस्यों एवं डिबेंचर- धारकों पर उनके प्रभाव की व्याख्या करना और
- कंपनी के निदेशकों या डिबेंचर न्यासियों (ट्रस्टियों) के किसी भी वास्तविक हितों पर समझौता या व्यवस्था का प्रभाव और
- कंपनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन), 2016 के नियम 6 के तहत निर्धारित ऐसे अन्य मामले।

सूचना का विज्ञापन: इस प्रकार की सूचना और अन्य दस्तावेजों को निम्न स्थानों पर भी लगाया जाएगा:

- कंपनी की वेबसाइट, यदि हो, और
- सूचीबद्ध कंपनी के मामले में, इन दस्तावेजों को प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और कंपनी की प्रतिभूतियां जिस स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं- वहां भेजी जाएंगी, उनकी वेबसाइट पर डालने के लिए और
- कंपनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 के नियम 7 के तहत निर्धारित तरीके से समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाएगा।

समझौते या व्यवस्था की प्रतियों को प्राप्त करने की समयावधि: जहां बैठक के लिए सूचना भी एक विज्ञापन के माध्यम से जारी किया जाता है, यह उस समय को इंगित करेगा जिसके भीतर समझौता या व्यवस्था की प्रतियां कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से संबंधित व्यक्तियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी।

- (4) **यदि समझौता या व्यवस्था से प्रभावित होने की संभावना है, तो प्रतिनिधित्व करने हेतु क्षेत्रीय नियामकों को सूचना [उप-धारा (5)]:** निर्धारित प्रपत्र में सभी दस्तावेजों के साथ एक सूचना अन्य क्षेत्रीय नियामकों को भी भेजा जाएगा और यह आवश्यक होगा कि उनके द्वारा किए जाने वाले अभ्यावेदन, प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर किए जाएंगे। इस प्रकार के सूचना के असफल होने पर, यह स्वीकार कर लिया जाएगा कि उनके पास प्रस्तावों पर कोई अभ्यावेदन नहीं है।

- (5) **ट्रिब्यूनल** लेनदारों या लेनदारों के वर्ग की बैठक बुलाने से छूट दे सकता है, जहाँ ऐसे लेनदार या लेनदारों का वर्ग, जिनके पास कम-से-कम नब्बे प्रतिशत मान, समझौते या व्यवस्था की योजना हेतु हलफनामे के माध्यम से सहमति और पुष्टि हो। [उप-धारा (9)]
- (6) **समझौते या व्यवस्था को अपनाने हेतु मत दें [उप-धारा (4)]**: एक सूचना दी जाएगी जिसमें जिन व्यक्तियों को नोटिस भेजी गई है, वे बैठक में या तो स्वयं या प्रॉक्सी के माध्यम से या डाक मतपत्र द्वारा समझौते या व्यवस्था को अपनाने हेतु इस प्रकार की सूचना मिलने की तिथि से एक माह की भीतर मतदान कर सकते हैं:
बशर्ते, समझौता या व्यवस्था के लिए कोई भी आपति केवल उन व्यक्तियों द्वारा की जाएगी जिनके पास शेयरधारिता का दस प्रतिशत से कम नहीं है या बकाया ऋण की राशि नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार कुल बकाया ऋण का पांच प्रतिशत से कम नहीं है।
- (7) **ट्रिब्यूनल का बाध्यकारी आदेश [उप-धारा (6)]**: जहाँ, एक बैठक में, लेनदारों के मान में तीन-चौथाई का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों का बहुमत या लेनदारों की श्रेणी या सदस्यों या सदस्यों की श्रेणी, जैसा भी मामला हो, व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा या डाक मतपत्र द्वारा मतदान, किसी भी समझौते या व्यवस्था के लिए सहमत होने और यदि इस प्रकार के समझौते या व्यवस्था को ट्रिब्यूनल द्वारा एक आदेश द्वारा स्वीकृत किया जाता है, तो यह कंपनी, सभी लेनदारों या लेनदारों के वर्ग पर या सदस्यों या सदस्यों के वर्ग, जैसा भी मामला हो, या कंपनी के बंद होने की स्थिति में, परिसमापक पर, "इस अधिनियम के तहत या दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत नियुक्त, या जैसा भी मामला हो" और कंपनी के योगदानकर्ताओं पर बाध्यकारी होगा।
- (8) **आदेश में दिए जाने वाले विवरण [उप-धारा (7)]**: ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए आदेश में निम्नलिखित मामलों में से सभी या किसी के लिए प्रावधान होगा, यानी:—
- (क) जहां समझौता या व्यवस्था वरीयता शेयरों को इक्विटी शेयरों में बदलने के लिए हो, ऐसी वरीयता शेयरधारकों को नकद में लाभांश की बकाया राशि प्राप्त करने या देय लाभांश के मूल्य के बराबर इक्विटी शेयरों को स्वीकार करने का विकल्प दिया जाएगा;
 - (ख) लेनदारों के किसी भी वर्ग की सुरक्षा;
 - (ग) यदि समझौते या व्यवस्था के परिणामस्वरूप शेयरधारकों के अधिकारों में बदलाव होता है, तो इसे धारा 48 के प्रावधानों के तहत लागू किया जाएगा;
 - (घ) यदि उप-धारा (6) के तहत लेनदारों द्वारा समझौते या व्यवस्था पर सहमति हो जाती है, तो रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 4 के तहत औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर/ BIFR) के समक्ष लंबित कोई भी कार्यवाही, निरस्त कर दी जाएगी;
 - (ङ.) असहमत शेयरधारकों, यदि हो, को बाहर निकालने की पेशकश समेत ऐसे अन्य मामले ट्रिब्यूनल के विचार से समझौते या व्यवस्था की शर्तों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए आवश्यक हैं:

बशर्ते कि ट्रिब्यूनल द्वारा कोई समझौता या व्यवस्था स्वीकृत नहीं की जाएगी जब तक कि कंपनी के लेखा परीक्षक द्वारा ट्रिब्यूनल में एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किया गया हो कि समझौता या व्यवस्था की योजना में प्रस्तावित लेखांकन व्यवस्था, यदि हो, धारा 133 के तहत निर्धारित लेखांकन मानक के अनुरूप है।

- (9) **ट्रिब्यूनल के आदेश को रजिस्ट्रार के पास दाखिल करना [उप-धारा (8)]:** ट्रिब्यूनल का आदेश, प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार के पास दाखिल किया जाएगा।
- (10) **प्रतिभूतियों की वापस खरीद (बायबैक) के संबंध में छूट [उप-धारा (10)]:** इस धारा के तहत प्रतिभूतियों की किसी भी खरीद-वापसी के संबंध में कोई समझौता या व्यवस्था ट्रिब्यूनल द्वारा स्वीकृत नहीं की जाएगी जब तक कि इस प्रकार की खरीद-फरोख्त धारा 68 के प्रावधानों के अनुसार न हो।
- (11) **अधिग्रहण की पेशकश को शामिल करना [उप- धारा (11)]:** किसी भी समझौता या व्यवस्था में निर्धारित तरीके से किया गया अधिग्रहण प्रस्ताव शामिल हो सकता है।

बशर्ते सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में अधिग्रहण प्रस्ताव प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार होगा।

- (12) **पीड़ित पक्ष द्वारा ट्रिब्यूनल को आवेदन [उप-धारा (12)]:** सूचीबद्ध कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों के अधिग्रहण प्रस्ताव के संबंध में किसी भी शिकायत की स्थिति में एक पीड़ित पक्ष ट्रिब्यूनल को आवेदन कर सकता है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, और ट्रिब्यूनल, आवेदन पर, जैसा उचित समझे, आदेश पारित कर सकता है।

व्याख्या— शंकाओं को दूर करने के लिए, एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि धारा 66 (शेयर पूंजी में कमी) के प्रावधान इस धारा के तहत ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुसरण में प्रभावी शेयर पूंजी में कमी पर लागू नहीं होंगे।

चूँकि शेयर पूंजी में कमी के लिए विशेष प्रस्ताव पारित करने के बाद और ट्रिब्यूनल द्वारा पुष्टि के बाद कंपनी द्वारा ट्रिब्यूनल को एक आवेदन की आवश्यकता होती है, इसलिए शेयर पूंजी में कमी प्रभावी हो जाती है। हालाँकि, धारा 230 के तहत समझौते के मामले में यदि पूंजी में कमी आती है, तो ऐसे मामलों में धारा 66 का अनुपालन अलग से करने की आवश्यकता नहीं है।

केस स्टडी-3

मामले के तथ्य:

बीएमवाई एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक फर्म, के विभिन्न डिवीजन/शाखाएं हैं। प्रत्येक डिवीजन के प्रमुख एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं जो अर्हताप्राप्त व्यक्ति होते हैं और जिन्होंने विशेषज्ञता पाठ्यक्रम पूरा किया होता है। प्रत्येक प्रमुख पेशेवरों एवं उद्योग में अपने ज्ञान एवं सत्यनिष्ठा के लिए जाने जाते हैं। बीएमवाई को वित्त विश्लेषक के साथ- साथ विलय एवं अधिग्रहण के क्षेत्र में सलाहकार के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित मामलों में हाइलाइट किए गए कई मुद्दों पर पेशेवर सलाह देने के लिए अपने ग्राहकों द्वारा फर्म से संपर्क किया गया है:

केस परिदृश्य- 1

टेम लिमिटेड, दूरसंचार सेवा में काम करने वाली कंपनी है और वर्तमान में उत्तर भारत में इसकी उपस्थिति प्रमुख है। कंपनी दक्षिण में अपना कारोबार बढ़ाना चाहती है। कंपनी के पास दो विकल्प हैं। पहला, खुद के नेटवर्क की स्थापना कर विस्तार करना जिसमें काफी समय और प्रयास लगेगा एवं परिणाम भी जल्द नहीं मिलेंगे। दूसरा, कंपनी दक्षिण में पर्याप्त ग्राहक आधार वाली मौजूदा दूरसंचार कंपनी का अधिग्रहण करे और अधिग्रहीत कंपनी के साथ अपने उत्तर भारत के संचालन को एकीकृत करने का लक्ष्य रखे। इसके परिणाम भी जल्द मिलेंगे।

कंपनी पहचान करने एवं अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए फर्म को नियुक्त करने को राजी है। फर्म के एमएंडए शाखा ने अध्ययन के बाद मेसर्स पूल लिमिटेड की पहचान की जिसकी दक्षिण में उपस्थिति तो है लेकिन वह कारोबार अच्छा नहीं कर पा रही है। दोनों कंपनियों की जानकारी नीचे दी गई है:

	टेम लिमि.	पूल लिमि.
कुल आय (E) (लाख रु. में)	1200 रु.	400 रु.
बकाया शेयरों की संख्या (S) (लाख में)	400	200
मूल्य आय अनुपात (PIE)	8	7

संयुक्त इकाई का PIE अनुपात 10 होने की उम्मीद है?

केस परिदृश्य- 2

सुश्री देविना को घर पर केक, अचार, पापड़ और अन्य खाद्य पदार्थों को बनाने का शौक है और उनके दोस्तों ने उन्हें इसे एक उद्यम के रूप में शुरू करने को राजी कर लिया है। इसे एक उद्यम के रूप में शुरू करने से पहले, वह यह कोशिश करना चाहती है कि उन्हें अपने शौक को नियमित व्यवसाय में बदलना चाहिए या नहीं। वह नई दिल्ली में रहती हैं। शुरुआत करने के लिए, उन्होंने अपने उत्पादों का प्रचार, अपने सोशल मीडिया के दोस्तों के माध्यम से किया और उन्हें नोएडा (उत्तर प्रदेश), फरीदाबाद (हरियाणा), गुरुग्राम (हरियाणा) के आस-पास वाले इलाकों से ऑर्डर मिलने लगे। ये सभी स्थान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पड़ते हैं। उन्हें मासिक 10,000 रु. के कारोबार की आशा है।

केस परिदृश्य- 3

मेसर्स जीएएआर (GAAR) लिमिटेड ने 60,000 रु. सालाना के वार्षिक लीज़ रेंटल के लिए मेसर्स जीएपी लिमिटेड के साथ एक अचल संपत्ति का 3 वर्ष के लिए पट्टा लिया है। अनुबंध में एक विस्तार खंड है जिसमें पट्टे को 5 वर्षों तक किए जाने की बात है और वर्तमान परिस्थितियों में पट्टे की अवधि बढ़ाए जाने की संभावना बहुत अधिक है। विस्तारित अवधि के मामले में, लीज़ रेंट में 10% की वृद्धि की जाएगी। पट्टेदार की ऋण उधार दर में 9% से वृद्धि होती है। मेसर्स जीएएआर (GAAR) लिमिटेड ने मेसर्स जीएपी लिमिटेड को 50,000 रु. की अवशिष्ट गारंटी दी है। यदि पट्टेदार 3 वर्ष से पहले किसी भी समय अनुबंध को समाप्त करता है तो पट्टेदार को मालिक को जुर्माने के तौर पर 30000 रु. का जुर्माना देना होगा। 9% की दर से 5 वर्ष के लिए पीवी अनुपात क्रमशः 0.917, 0.842, 0.772, 0.708, 0.650 है।

केस परिदृश्य- 4

श्री बी फर्म के साझीदारों में से एक हैं, और इस दुविधा में हैं कि क्या फर्म बीएमवाई एलएलपी को मेसर्स फोम लिमि. के वैधानिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्ति को स्वीकार करना चाहिए जिसमें श्री बी ने निवर्तमान लेखापरीक्षक श्री दलाई को पोस्टिंग के प्रमाणपत्र और निवर्तमान लेखापरीक्षक को लिखित रूप में एक पत्र भेजा था, उन्होंने अपने आधिकारिक ईमेल से एक पावती भी भेजी है लेकिन निवर्तमान लेखापरीक्षक का यह ईमेल एड्रेस भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान में पंजीकृत नहीं है। श्री बी की राय है कि यह डिलीवरी सकारात्मक प्रमाण नहीं है और अगर फर्म लेखापरीक्षा का कार्य स्वीकार करती है तो ऐसा करना आचार संहिता का उल्लंघन होगा।

केस परिदृश्य- 5

एक निवेशक को 3 स्टॉक में निवेश मिला है और वह अपने पोर्टफोलियो के बीटा को जानना चाहता है। इन 3 स्टॉक्स के बारे में निम्नलिखित जानकारी नीचे दी जा रही है:

प्रतिभूति	शेयरों की संख्या	बाज़ार मूल्य	बीटा (β)
एसवीएल (SVL)	15000	60	0.90
एससीएल (SCL)	8000	35	1.00
एमएलएस (MLS)	7500	30	1.50

निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनें

बहुवैकल्पिक प्रश्न

3.1 केस परिदृश्य- 1 में मेसर्स पूल लिमिटेड के लिए स्वीकार्य विनिमय अनुपात होगा:

- (क) 0.42:1
- (ख) 0.50:1
- (ग) 0.35:1
- (घ) 0.65:1

3.2 क्या केस परिदृश्य- 2 में सुश्री देविना के लिए, जीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकरण कराना आवश्यक होगा और क्या वे उक्त अधिनियम के तहत कंपोजिशन लेवी स्कीम का लाभ उठाने की अधिकारी होंगी:

- (क) उन्हें पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि उनका टर्नओवर पंजीकरण हेतु निर्धारित मूल सीमा से कम है।
- (ख) उन्हें कंपोजिशन सप्लायर के रूप में पंजीकरण कराना होगा और वह कंपोजिशन लेवी स्कीम का लाभ उठाने की पात्र होंगी।
- (ग) चूँकि उनकी बिक्री अंतरराज्यीय है, उन्हें पंजीकरण कराने की आवश्यकता होगी लेकिन वे कंपोजिशन लेवी स्कीम का लाभ उठा सकती हैं।
- (घ) उन्हें पंजीकरण कराना होगा और वह कंपोजिशन लेवी स्कीम का लाभ उठाने की अधिकारी नहीं होंगी क्योंकि उनकी बिक्री अंतरराज्यीय है और जब अंतर-राज्यीय बिक्री होती है तो अधिसूचित आपूर्ति को छोड़कर न तो बुनियादी छूट मिलती है और न ही कंपोजिशन लेवी की सुविधा।

- 3.3 केस परिदृश्य – 3 में मेसर्स जीएएआर लिमि. के पहले वर्ष के लिए पट्टे की देयता और वित्त लागत की राशि क्या होगी:
- (क) पट्टा देयता 2,41,488 रु. और वित्त लागत 21,733 रु.
 - (ख) पट्टा देयता 3,62,000 रु. और वित्त लागत 32,580 रु.
 - (ग) पट्टा देयता 2,73,988 रु. और वित्त लागत 24,659 रु.
 - (घ) पट्टा देयता 3,03,988 रु. और वित्त लागत 27,359 रु.
- 3.4 केस परिदृश्य -4 में फर्म के साझीदार श्री बी जिस दुविधा का सामना कर रहे हैं, उसके संबंध में सेवानिवृत्त लेखापरीक्षकों से उनके आधिकारिक ईमेल द्वारा संचार की पावती के संबंध में डिलीवरी का सकारात्मक प्रमाण नहीं है?
- (क) श्री बी. की दुविधा उचित है क्योंकि यह डिलीवरी का सकारात्मक प्रमाण नहीं है।
 - (ख) श्री बी. की दुविधा उचित नहीं है क्योंकि यह डिलीवरी का सकारात्मक प्रमाण है क्योंकि यह आचार संहिता के अनुसार आउटगोइंग ऑडिटर के आधिकारिक ईमेल से प्राप्त हुआ है।
 - (ग) श्री बी. की दुविधा उचित नहीं है क्योंकि वैधानिक लेखापरीक्षकों को इस मामले में सेवानिवृत्त या निवर्तमान लेखापरीक्षकों के साथ संवाद करने की आवश्यकता नहीं है।
 - (घ) श्री बी. की दुविधा उचित है क्योंकि आउटगोइंग ऑडिटर का ईमेल पता जिसकी पावती आई है, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान में पंजीकृत नहीं है।
- 3.5 ऊपर केस परिदृश्य – 5 में पोर्टफोलियो बीटा क्या होगा?
- (क) 1.133
 - (ख) 1.016
 - (ग) 1.074
 - (घ) 1.213

(2 x 5 = 10 अंक)

वर्णनात्मक प्रश्न

- 3.6 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग I में परिभाषित पेशेवर कदाचार के बारे में व्याख्या करें, जो किसी अन्य चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा पूर्व में लिखित रूप से संवाद किए बिना लेखापरीक्षक के रूप में एक पद को स्वीकार करने के संबंध में है। (4 अंक)
- 3.7 भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार 'पट्टा' को परिभाषित कीजिए और इसके विभिन्न घटकों के बारे में बताइए। (4 अंक)
- 3.8 उन परिस्थितियों की व्याख्या करें जब एक आपूर्तिकर्ता को माल और सेवाकर नियम 2017 के तहत पंजीकरण की आवश्यकता होती है और वह कंपोजिशन स्कीम का लाभ उठा सकता है। (7 अंक)

केस स्टडी 3 के उत्तर

भाग- क

- 3.1 (क)
- 3.2 (घ)
- 3.3 (ग)

3.4 (ख)

3.5 (ख)

भाग- ख

3.6 चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की पहली अनुसूची के भाग I के खंड 8 के अनुसार, व्यवहार में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को पेशेवर कदाचार का दोषी माना जाता है यदि वह **लेखापरीक्षक के रूप में किसी अन्य चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रमाणित लेखापरीक्षक के पद को स्वीकार कर लेता है, जिसे प्रतिबंधित प्रमाणपत्र नियमावली, 1932 के तहत उसके साथ पूर्व में बिना लिखित संवाद किए प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।**

यह बताया जाना चाहिए कि केवल पेशेवर शिष्टाचार ही एक सदस्य को मौजूदा अकाउंटेंट के साथ संवाद करने की आवश्यकता का प्रमुख कारण नहीं है जो संस्थान का सदस्य या प्रमाणित लेखापरीक्षक भी है। अंतर्निहित उद्देश्य यह है कि सदस्य के पास अपने स्वयं के हित, जनता के वैध हित और वर्तमान अकाउंटेंट की स्वतंत्रता की रक्षा करने में सक्षम होने के लिए परिवर्तन के कारणों को जानने का अवसर हो सकता है। यह किसी भी तरह से परिवर्तन को रोकने या बाधित करने का इरादा नहीं है। सेवानिवृत्त लेखापरीक्षक से पूछताछ करते समय, नियुक्त किए जाने हेतु प्रस्तावित या पहले से नियुक्त किए गए लेखापरीक्षक को मुख्य रूप से यह पता लगाना चाहिए कि क्या कोई पेशेवर या अन्य कारण हैं जिसकी वजह से उसे नियुक्ति को स्वीकार नहीं करना चाहिए।

यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक उपभोक्ता को अपने अकाउंटेंट को चुनने का एक अंतर्निहित अधिकार होता है, साथ ही लिमिटेड कंपनियों के मामले में वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन के अधीन वह जब भी चाहे परिवर्तन कर सकता है, भले ही जिन कारणों ने उसे ऐसा करने को बाध्य किया था वे उचित और वैध हों या नहीं। परिवर्तन सामान्य रूप से तब होता है जब व्यवसाय के स्थान में परिवर्तन होता है और एक स्थानीय लेखाकार को प्राथमिकता दी जाती है या जहां उपभोक्ता के मामलों से निपटने वाला साझीदार सेवानिवृत्त हो जाता है या मर जाता है; या जहाँ स्वभाव टकराता है या सेवार्थी के पास असंतुष्ट महसूस करने के कुछ अच्छे कारण हैं। ऐसे मामलों में, सेवानिवृत्त होने वाले लेखापरीक्षक को स्थिति को हमेशा स्वीकार करना चाहिए।

शुल्क के संबंध में विवाद का अस्तित्व एक लेखापरीक्षक के बदले जाने का मूल कारण हो सकता है। यह वैध पेशेवर कारण नहीं होगा जिसके कारण उस सदस्य द्वारा लेखापरीक्षा कार्य को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए जिसके लिए प्रस्ताव दिया गया था। हालाँकि कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य विभिन्न कानूनों के तहत वैधानिक लेखापरीक्षा करने हेतु निर्विवाद लेखापरीक्षा शुल्क के मामले में भुगतान नहीं किए जाने पर, आने वाले लेखापरीक्षक को नियुक्ति तब तक स्वीकार नहीं करनी चाहिए जब तक कि ऐसे शुल्क का भुगतान न कर दिया जाता हो। अन्य बकायों के संबंध में, आने वाले लेखापरीक्षक को उपयुक्त परिस्थितियों में अपने पूर्ववर्ती के पक्ष में अपने प्रभाव का प्रयोग शुल्क के संबंध में विवाद को निपटाने हेतु करना चाहिए। लेखापरीक्षा कार्य स्वीकार न करने के पेशेवर कारण होंगे:

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 और 140 के प्रावधानों का अनुपालन न करना जैसा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की पहली अनुसूची के भाग-I के खंड (9) में उल्लिखित है; और

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य विभिन्न कानूनों के तहत वैधानिक लेखापरीक्षा करने हेतु बीमार इकाईयों के मामले में अन्य लेखापरीक्षितियों द्वारा अविवादित लेखापरीक्षा शुल्क का भुगतान न करना; और

(ग) साक्षेप रिपोर्ट जारी करना।

पहले दो मामलों में, लेखापरीक्षा कार्य स्वीकार करने वाले लेखापरीक्षक पेशेवर कदाचार के दोषी होंगे। परिषद के सामान्य दिशानिर्देश, 2008 के लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षक द्वारा किए गए अन्य खर्चों के साथ लेखापरीक्षित और लेखापरीक्षक दोनों द्वारा हस्ताक्षरित खातों में लेखापरीक्षा शुल्क का प्रावधान “निर्विवाद लेखापरीक्षा शुल्क” और “बीमार इकाई” के रूप में माना जाएगा, इसका अर्थ होगा कि इकाई न्यूनतम पांच वर्ष से कम समय से पंजीकृत नहीं है, जिस किसी वित्त वर्ष के अंत में संचयी घाटा उसके संपूर्ण निवल मूल्य के बराबर या उससे अधिक हो।

हालाँकि, अंतिम मामले में, वह लेखापरीक्षा कार्य को स्वीकार कर सकता है यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि सेवानिवृत्त होने वाला लेखापरीक्षक का रवैया उचित और तर्कसंगत नहीं था। दूसरी तरफ, यदि, उसे लगता है कि सेवानिवृत्त होने वाले लेखापरीक्षक ने उचित और वैध कारणों से रिपोर्ट तैयार की थी तो उसे लेखापरीक्षा कार्य स्वीकार करने से इनकार कर देना चाहिए। ऐसा कोई नियम, लिखित या अलिखित, नहीं है जो एक लेखापरीक्षक को इन परिस्थितियों में उसे दी गई नियुक्ति को स्वीकार करने से रोके। हालाँकि, लेखापरीक्षा कार्य को स्वीकार करने से पहले, उसे मामले के पूर्ण तथ्यों के बारे में निश्चित होना चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए पेशे को बदनाम करने के लिए जनता के बीच इतनी जानकारी नहीं होगी कि अगर ग्राहक द्वारा लेखापरीक्षक को “असुविधाजनक” पाया जाता है तो उसे आसानी से दूसरे के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है जो उपभोक्ता को नाराज़ नहीं करेगा और इस बात पर बहुत अधिक ज़ोर नहीं दिया जा सकता।

कभी-कभी आने वाले लेखापरीक्षक के संचार का उत्तर देने के लिए, परिवर्तन के कारणों से आहत महसूस करने के अलावा सेवानिवृत्त होने वाले लेखापरीक्षक बिना किसी उचित कारण के विफल हो जाते हैं। ताकि यह गतिरोध पैदा न करे, नियुक्त लेखापरीक्षक उत्तर देने के उचित समय की प्रतीक्षा के बाद काम कर सकता है।

इसलिए, सदस्यों को सेवानिवृत्त होने वाले लेखापरीक्षक के साथ इस प्रकार से संवाद करना चाहिए कि उनके हाथों में प्राप्तकर्ता को संचार के वितरण का सकारात्मक प्रमाण बना रहे। परिषद की राय में, सामान्य रूप से निम्नलिखित प्रमाण मिलेगा: -

(क) “पंजीकृत पावती देय” के माध्यम से भेजे गए पत्र द्वारा संचार, या

(ख) लिखित पावती के खिलाफ हाथों से लिखा पत्र, या

(ग) संस्थान में पंजीकृत ईमेल पते या उनके अंतिम ज्ञात आधिकारिक ईमेल पते से सेवानिवृत्त होने वाले लेखापरीक्षक के संचार की पावती या

(घ) यूडीआईएन के पोर्टल पर जनरेट हुई विशिष्ट पहचान संख्या (यूडीआईएन/UDIN) (इस संबंध में परिषद द्वारा जारी किए जाने वाले अलग दिशानिर्देशों के अधीन)

3.7 पट्टे की परिभाषा

पट्टों को एक अनुबंध या एक अनुबंध के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है जो **पैसों के बदले एक निश्चित अवधि** के लिए किसी **पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार** बताता है। एक इकाई को अनुबंध की शुरुआत में यह आकलन करने की आवश्यकता होती है कि क्या अनुबंध एक पट्टा है या उसमें पट्टे को शामिल किया गया है।

पट्टे के विभिन्न घटक

पट्टे के घटक हैं:

- (i) एक अनुबंध
- (ii) पहचान की गई संपत्ति
- (iii) उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार
- (iv) समय-अवधि
- (v) पैसा
- (i) अनुबंध: अनुबंध मौखिक या लिखित हो सकता है
- (ii) पहचान की गई संपत्ति: एक अनुबंध में पट्टा तभी होता है जब उसमें कोई पहचान की गई संपत्ति हो।

एक संपत्ति की पहचान निम्नलिखित द्वारा की जा सकती है:

- i. अनुबंध में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट, या
- ii. उपभोक्ता द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध कराई गई संपत्ति का समय स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट हो।

एक उपभोक्ता को संपत्ति के उपयोग का अधिकार नहीं है यदि अनुबंध के आरंभ में, एक आपूर्तिकर्ता के पास उपयोग की अवधि के दौरान स्थानापन्न करने का मूल अधिकार हो। किसी आस्ति के प्रतिस्थापित करने का आपूर्तिकर्ता का अधिकार मूल है जब निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं:

- i. आपूर्तिकर्ता के पास उपयोग की पूरी अवधि के दौरान वैकल्पिक परिसंपत्तियों को स्थानापन्न करने की व्यावहारिक क्षमता हो।
- ii. आपूर्तिकर्ता को संपत्ति को स्थानापन्न करने के अपने अधिकार के प्रयोग से आर्थिक रूप से लाभ होगा।

पहचान की गई परिसंपत्ति भौतिक रूप से अलग होनी चाहिए। भौतिक रूप से भिन्न संपत्ति संपूर्ण संपत्ति या संपत्ति का एक हिस्सा हो सकती है।

(iii) नियंत्रण का अधिकार:

- i. अज्ञात संपत्ति के उपयोग के अधिकार का आकलन करने के उद्देश्य से एक इकाई यह देखेगी कि उपयोग की पूरी अवधि के दौरान, उपभोक्ता के पास निम्नलिखित दोनों चीजें हैं या नहीं:
 - 1. पहचानी गई संपत्ति के उपयोग से पर्याप्त रूप से सभी आर्थिक लाभ प्राप्त करने का

अधिकार और

2. पहचान की गई संपत्ति का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करने का अधिकार।

ii. यदि उपभोक्ता को अनुबंध की अवधि के केवल एक हिस्से के लिए किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार है तो अनुबंध में उस अवधि के लिए पट्टा शामिल है।

(iv) 'समय की अवधि' को एक पहचान की गई संपत्ति के उपयोग के संदर्भ में वर्णित किया जा सकता है (उदाहरण के लिए इकाईयों की उत्पादन संख्या जो उपकरण की वस्तु का उत्पादन करने के लिए उपयोग की जाएगी)। इसमें समय की कोई भी गैर-निरंतर अवधि शामिल है।

पट्टे की अवधि एक रद्द न किए जाने योग्य अवधि है जिसके लिए एक पट्टेदार को अंतर्निहित परिसंपत्ति का उपयोग करने का अधिकार है जो प्रारंभ तिथि से शुरू होता है और इसमें पट्टे पर संपत्ति देने वाले व्यक्ति द्वारा पट्टे पर संपत्ति लेने वाले को दी गई कोई भी किराया मुक्त अवधि शामिल है, दोनों के साथ:

i. पट्टे का विस्तार करने के विकल्प द्वारा कवर की गई अवधि यदि पट्टेदार यथोचित रूप से उस विकल्प का उपयोग करने के लिए निश्चित है; और

ii. पट्टे को समाप्त करने के विकल्प द्वारा कवर की गई अवधि यदि पट्टेदार यथोचित रूप से निश्चित है कि वह उस विकल्प का प्रयोग नहीं करेगा।

(v) किराया: पट्टा भुगतान को पट्टा अवधि के दौरान एक अंतर्निहित संपत्ति का उपयोग करने के अधिकार से संबंधित पट्टेदार द्वारा पट्टाकार को किए गए भुगतान के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- निश्चित भुगतान (वस्तुतः निश्चित भुगतान समेत), में से किसी प्रकार के पट्टा प्रोत्साहन को **घटाकर**
- पट्टे की चर राशि का भुगतान जो सूचकांक या दर पर निर्भर करती हो, खरीद विकल्प का एक्सरसाइज़ प्राइस, यदि पट्टेदार उस विकल्प को अपनाने के बारे में निश्चित हो।
- पट्टे को समाप्त करने के लिए जुर्माने का भुगतान, यदि पट्टा अवधि पट्टे को समाप्त करने के विकल्प का प्रयोग करने वाले पट्टेदार को दर्शाती है।
- अवशिष्ट मूल्य की गारंटी।

3.8 सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 22 के अनुसार, प्रत्येक आपूर्तिकर्ता एस राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश (नगालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर, त्रिपुरा के विशेष श्रेणी वाले राज्यों को छोड़कर) में पंजीकरण हेतु उत्तरदायी हैं, जहाँ से वे माल और/ या सेवाओं की कर योग्य आपूर्ति करता है यदि उसका कुल कारोबार किसी वित्त वर्ष 20 लाख रु. की प्रारंभिक सीमा से अधिक है।

इसके अलावा, अधिसूचना संख्या 10/2019 सीटी दिनांक 07.03.2019 के अनुसार विशेष रूप से निर्दिष्ट राज्यों में माल की आपूर्ति में लगे आपूर्तिकर्ता के लिए 40 लाख रु. की बढ़ी हुई सीमा उपलब्ध है। हालांकि, यह बढ़ी हुई सीमा सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 24 के तहत अनिवार्य पंजीकरण कराने के लिए आवश्यक व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है। व्यक्तियों की निर्दिष्ट श्रेणियों में से एक

को अनिवार्य रूप से पंजीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता है, भले ही उनका कुल कारोबार कितने का भी हो, उक्त धारा के तहत, माल की अंतर-राज्य कर योग्य आपूर्ति करने वाले व्यक्ति हैं।

दिए गए मामले में, चूंकि सुश्री देविना माल की अंतर-राज्य आपूर्ति करती हैं, इसलिए उनके सकल कारोबार पर विचार किए बिना अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना आवश्यक है।

पंजीकरण हेतु आवेदन करते समय, उन्हें इस बात का पता करना होगा कि क्या वे कंपोजिशन स्कीम का लाभ उठा सकती हैं?

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 10 के अनुसार, प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है, यदि उसका कुल कारोबार, निर्दिष्ट विशेष श्रेणी वाले राज्यों के अलावा, बीते वित्त वर्ष में 1.5 करोड़ रु. से अधिक का न हो, यह विशेष शर्तों को पूरा करने के अधीन है।

माल के लिए कंपोजिशन स्कीम की उपलब्धता की शर्तों में से एक शर्त यह है कि पंजीकृत व्यक्ति को माल की किसी भी अंतर-राज्यीय जावक आपूर्ति नहीं करनी चाहिए।

इसलिए, भले ही सुश्री देविना का कुल कारोबार बीते वित्त वर्ष में 1.5 करोड़ रु. से अधिक का न हो, लेकिन वह कंपोजिशन स्कीम का लाभ लेने की अधिकारी नहीं हैं क्योंकि वह माल के अंतर-राज्यीय बाह्य आपूर्ति का काम करती हैं।

केस स्टडी - 4

केस के तथ्य:

1. एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी (अब के बाद 'कंपनी' कहा जाएगा), जो एक सूचीबद्ध कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, भारत के बाहर तेल और गैस की खोज एवं उत्पादन और अन्य हाइड्रोकार्बन संबंधी कार्यों का कारोबार करती है।
2. कंपनी विभिन्न संयुक्त व्यवस्थाओं में साझादारी एवं सहयोगियों में निवेश के माध्यम से विदेशी परियोजनाओं में प्रत्यक्ष और/या सहायक कंपनियों के जरिए काम करती है। कंपनी 31 मार्च 2016 तक कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 (एस) के तहत अधिसूचित लेखामानकों का पालन कर रही थी। हालांकि, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कंपनी ने 1 अप्रैल 2016 से भारतीय लेखांकन मानकों का पालन करना आरंभ किया है।
3. मेज़बान देश में लागू कानूनी और वित्तीय व्यवस्था के अनुसार मेज़बान सरकारों द्वारा खनिज अधिकार दिए जाते हैं जो मेज़बान सरकारों के साथ बाध्यकारी संविदात्मक व्यवस्था के तहत होती हैं। खनिज अधिकार प्रत्यक्ष लाइसेंस के माध्यम से या प्रोडक्शन शेयरिंग एग्रीमेंट (पीएसए/PSA) के माध्यम से दिए जा सकते हैं, जिसके तहत मेज़बान सरकार हाइड्रोकार्बन पर स्वामित्व का अधिकार रखती है, कंपनी या कंसोर्टियम (जिसे आमतौर पर ठेकेदार कहा जाता है) को, हाइड्रोकार्बन के बंटवारे समेत ठेकेदार द्वारा कुछ देयताओं/भुगतानों के विषयाधीन, पीएसए में निहित सिद्धांतों के अनुसार सरकार या उसकी नामित एजेंसियों के साथ अधिकार प्रदान करती है।
4. विदेशी तेल और गैस संचालन आमतौर पर अन्य साझादारों के साथ संयुक्त व्यवस्था में किया जाता है। संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं/सहायक कंपनियों के माध्यम से खनिज अधिकार रखने का मुख्य कारण मेज़बान देश के नियमों और/या विभिन्न व्यावसायिक विचारों (रणनीतिक/जोखिम प्रबंधन)

वित्त पोषण आदि) के कारण है। जब परियोजना पहले से ही एक कॉर्पोरेट संरचना के माध्यम से अस्तित्व में है और कंपनी बाद में परियोजना का हिस्सा बनती है, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं/सहायक कंपनियों में निवेश एक विरासत का मुद्दा है।

5. वित्त वर्ष 2014-15 तक, कंपनी लागू लेखांकन मानकों (एएस) के अनुसार कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थानों के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों वाले समूह के लिए अपने समेकित वित्तीय विवरण तैयार कर रही थी।
6. लेखांकन मानक (एएस) 13, 'निवेश के लिए लेखांकन' की आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में निवेश हेतु उत्तरदायी है। कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी लेखा मानक (एएस) 21 'समेकित वित्त विवरण' के अनुच्छेद 13 में उल्लिखित समेकन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अक्षरशः अपनी सहायक कंपनियों के वित्त विवरणों का समेकन कर रही थी। इसी प्रकार, अपने समेकित वित्त विवरणों में कंपनी लेखा मानक (एएस) 27 'संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग' के अनुच्छेद 29 से 39 की आवश्यकताओं के अनुसार आनुपातिक समेकन का उपयोग करते हुए संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में अपनी दिलचस्पी की सूचना दे रही थी।
7. इसके अलावा, कंपनी ने सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंध में एएस 21 के अनुच्छेद 13(बी) और एएस 27 के अनुच्छेद 36 की आवश्यकताओं के अनुसार अपने समेकित वित्त विवरणों में सद्भावना (गुडविल) को स्वीकार किया है।
8. कंपनी ने माना कि इस प्रकार की सद्भावना (गुडविल) मुख्य रूप से कॉर्पोरेट संरचना और सहायक कंपनियों के लाइन समेकन के कारण पैदा होती है। संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के ऐतिहासिक लागत सम्मेलन पर तैयार किए गए वित्त विवरणों का आनुपातिक समेकन जो अंतर्निहित तेल और गैस भंडार के मूल्यांकन को ध्यान में नहीं रखता है जिसके लिए कंपनी द्वारा अतिरिक्त राशि (यानि प्रासंगिक एएस आवश्यकताओं के अनुसार गणना की गई सद्भावना/गुडविल) का भुगतान, अधिग्रहण के समय किया गया है।
9. कंपनी ने आगे माना कि तेल और गैस ईएंडपी कंपनियों में, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं या सहायक कंपनियों के माध्यम से खनिज अधिकारों के अधिग्रहण पर उत्पन्न सद्भावना (गुडविल) अंतर्निहित खनिज अधिकारों से स्वाभाविक रूप से अपना मूल्य प्राप्त करती है और तदनुसार, इस प्रकार के सद्भावना (गुडविल) का मूल्य अंतर्निहित खनिज संसाधनों के निकाले जाने से कम हो जाता है।
10. इसलिए, विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए और उपरोक्त पदार्थ पर विचार करते हुए, कंपनी ने यूओपी (UOP) विधि का प्रयोग करते हुए अंतर्निहित खनिज अधिकारों के जीवन पर अपनी सहायक कंपनियों/संयुक्त रूप से नियंत्रित संपत्तियों के संबंध में सद्भावना (गुडविल) के परिशोधन हेतु लेखांकन नीति तैयार की: "सद्भावना (गुडविल) परिशोधन: कंपनी संबंधित प्रमाणित भंडार पर विचार करते हुए 'उत्पादन पद्धति की इकाई' के आधार पर सद्भावना (गुडविल) (समेकन पर) का परिशोधन करती है।"

11. इसने कंपनी को खनिज अधिकारों के जीवन पर सद्भावना (गुडविल) के मूल्य का उपयोग करने और भंडार के जीवन पर सद्भावना (गुडविल) को पूरी तरह से चार्ज करने की अनुमति दी।
12. वित्त वर्ष 2015-16 के लिए, कंपनी ने कहा है कि उसने भारतीय लेखांकन मानक 101, भारतीय लेखांकन मानकों का पहली बार अंगीकरण के तहत संक्रमण छूट का लाभ उठाया था और भारतीय लेखांकन मानक 103, 'व्यापार संयोजन' के सिद्धांतों को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया था और इसलिए 1 अप्रैल 2015 की संक्रमण तिथि से पूर्व किए गए संयुक्त उद्यमों (एएस के अनुसार संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाईयां)/ सहायक कंपनियों में शेयरों का अधिग्रहण उचित मूल्य पर नहीं किया गया था। लागू एएस के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक में संक्रमण तिथि पर सद्भावना (गुडविल) की वहन राशि के रूप में लिया गया है।
13. कंपनी के अनुसार, संक्रमण की तिथि यानि 1 अप्रैल 2015 से संभावित रूप से, सहायक कंपनियों में हितों/ शेयरों का अधिग्रहण भारतीय लेखांकन मानक 103 के अनुसार लेखाबद्ध किया जाना है और संयुक्त उद्यम/ सहयोगी में हिता शेयर के अधिग्रहण को भारतीय लेखांकन मानक 28, 'सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश' के अनुसार लेखाबद्ध किया जाएगा।
14. कंपनी समझती है कि भारतीय लेखांकन मानक 28 का अनुच्छेद 32(ए) विशेष रूप से एक सहयोगी या संयुक्त उद्यम से संबंधित सद्भावना (गुडविल) के परिशोधन को प्रतिबंधित करता है। यह पाया गया है कि भारतीय लेखांकन मानक 103 द्वारा निर्धारित ऐसा कोई विशिष्ट निषेध नहीं है। यह भी देखा गया है कि भारतीय लेखांकन मानक 36 के पैरा 10 (बी), संपत्ति को हुए नुकसान के लिए वार्षिक आधार पर हानि के लिए व्यावसायिक संयोजन में अर्जित सद्भावना (गुडविल) के जांच की आवश्यकता होती है।
15. तदनुसार, कंपनी के अनुसार, लागू भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार, ऐसा लगता है कि भारतीय लेखांकन मानक अपने परिशोधन की बजाए हानि के लिए वार्षिक सद्भावना (गुडविल) की जांच पर विचार करती है। यह अधिग्रहीत संपत्तियों एवं देयताओं के उचित मूल्यांकन एवं अवशिष्ट राशि होने के नाते सद्भावना/ पूंजी रिजर्व की अवधारणा के साथ संरेखित प्रतीत होती है। हालांकि ऐसा नहीं भी हो सकता है, ऊपर बताए गए तरीके से सद्भावना (गुडविल) के ऐतिहासिक मूल्यांकन के मामले में। तदनुसार, सद्भावना (गुडविल) के रूप में वस्तु को 'अधिग्रहण लागत' (जैसा कि उपर पैरा 8 से 13 में बताया गया है) की प्रकृति पर विचार करते हुए, कंपनी अपनी सहायक कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों (एएस के तहत संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं) के संबंध में एएस के तहत मान्यता प्राप्त सद्भावना (गुडविल) के परिशोधन को जारी रखने की मंशा रखती है, जो उत्पादन पद्धति की इकाई का उपयोग कर अंतर्निहित खनिज अधिकारों के जीवन पर है, भारतीय लेखांकन मानकों के तहत संक्रमण की तिथि के बाद भी उसी लेखांकन नीति के अनुसार निम्नानुसार है: "सद्भावना (गुडविल) परिशोधन: कंपनी संबंधित प्रमाणित भंडार पर विचार करते हुए 'उत्पादन पद्धति की इकाई' के आधार पर सद्भावना (गुडविल) (समेकन पर) का परिशोधन करती है।"

निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर दें

बहुवैकल्पिक प्रश्न

- 4.1 भारतीय लेखांकन मानक 110 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी मूल संस्थाओं को समेकित वित्त विवरण प्रस्तुत करने की छूट नहीं है:
- (क) यदि सार्वजनिक बाज़ार में ऋण या इक्विटी साधनों का कारोबार नहीं किया जाता है; इसने सार्वजनिक बाज़ार में किसी भी वर्ग के साधनों को जारी करने के उद्देश्य से किसी प्रतिभूति आयोग या अन्य नियामक संगठन के समक्ष अपने वित्त विवरण प्रस्तुत नहीं किए हैं, न ही प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में है; और इसका अंतिम या कोई मध्यवर्ती मूल संगठन वित्त विवरण तैयार करता है जो सार्वजनिक उपयोग हेतु उपलब्ध है और भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप है। इसके अलावा, इसके अन्य मालिकों, जिनमें वे भी शामिल हैं तो मतदान के अधिकारी नहीं हैं, को सूचित किया गया है और मूल संगठन द्वारा समेकित वित्त विवरण प्रस्तुत नहीं करने पर कोई आपत्ति नहीं है।
 - (ख) एक निवेश इकाई जिसे लाभ और हानि खाते के माध्यम से अपनी सभी सहायक कंपनियों को उचित मूल्य पर मापना आवश्यक है।
 - (ग) सहायक कंपनियां जिनके लिए अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाओं के लिए रोजगार के बाद की लाभ योजनाएं लागू होती हैं।
 - (घ) मूल संगठन जो एक या एक से अधिक सहयोगी कंपनियों को नियंत्रित करता है।
- 4.2 समेकित वित्त विवरणों पर लेखापरीक्षक जारी करते हैं:
- (क) समेकित वित्त विवरण पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट।
 - (ख) समेकित वित्त विवरण पर कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020
 - (ग) समेकित वित्त विवरण पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ-साथ समेकित वित्त विवरण पर कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020
 - (घ) न तो समेकित वित्त विवरण पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और न ही समेकित वित्त विवरण पर कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020
- 4.3 समेकित वित्त विवरणों में मूल संगठन और समूह का वित्त विवरण एक इकाई के रूप में तैयार किया गया है:
- (क) केवल परिसंपत्तियां, देयताओं और इक्विटी।
 - (ख) केवल आय और व्यय।
 - (ग) केवल आय, व्यय और नकद प्रवाह।
 - (घ) परिसंपत्तियां, देयताएं, इक्विटी, आय, व्यय और नकद प्रवाह।
- 4.4 फेमा, 1999 के तहत एफएलए (विदेशी देयताएं और परिसंपत्तियां) वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की तिथि है:
- (क) वित्त वर्ष समाप्त होने के 30 मई तक।
 - (ख) वित्त वर्ष समाप्त होने के 15 जून तक।
 - (ग) वित्त वर्ष समाप्त होने के 30 जून तक।
 - (घ) वित्त वर्ष समाप्त होने के 15 जुलाई तक।

- 4.5 विदेश में प्रतिभूतियों की खरीद/अधिग्रहण के लिए भारत में निवासी व्यक्तियों (व्यक्तिगत) के लिए सामान्य अनुमति उपलब्ध नहीं है जब ऐसी खरीद/अधिग्रहण हो:
- (क) आरएफसी (RFC) खाते में धारित कोष से।
- (ख) वर्तमान विदेशी मुद्रा शेयरों पर बोनस शेयरों के माध्यम से।
- (ग) उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस/LRS) के तहत प्रति वित्त वर्ष, रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमा तक प्रेषण द्वारा।
- (घ) आगे के निवेश हेतु विशेष प्रयोजन साधन स्थापित करने हेतु एलआरएस के तहत धन भेजकर।
- (2 x 5 = 10 अंक)

वर्णनात्मक प्रश्न

- 4.6 आपको कंपनी द्वारा सद्भावना (गुडविल) के परिशोधन हेतु भारतीय लेखांकन मानक के तहत उपयुक्त लेखांकन व्यवस्था के बारे में व्याख्या करने को कहा गया है और क्या कंपनी द्वारा सद्भावना (गुडविल) के परिशोधन के संबंध में मामले के अध्ययन के अनुच्छेद 15 में सुझाए गए लेखांकन व्यवस्था उचित है? (7 अंक)
- 4.7 विदेश में संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई स्थापित करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत क्या औपचारिकताएं हैं? (5 अंक)
- 4.8 विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत विदेश में किसी मौजूदा कंपनी के शेयरों को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? (3 अंक)

केस स्टडी 4 के उत्तर

भाग - क

- 4.1 (घ)
- 4.2 (क) या (ख) या (ग)
- 4.3 (घ)
- 4.4 (घ)
- 4.5 दिया गया कोई भी विकल्प सही नहीं है

भाग- ख

- 4.6 भारतीय लेखांकन मानक 101 के अनुच्छेद सी4 के प्वाइंट (जी) में कहा गया है कि आरंभिक भारतीय लेखांकन मानक बैलेंस शीट में सद्भावना (गुडविल) या पूंजी रिजर्व की अग्रणीत राशि दो समायोजन के बाद भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन की तिथि पर पिछले जीएएपी के अनुसार इसकी अग्रणीत राशि होगी। समायोजन में से एक में कहा गया है कि मानक के लिए पहली बार अपनाने वाले को एक अमूर्त संपत्ति की पहचान करने की आवश्यकता होती है जो कि पिछले जीएएपी के अनुसार मान्यता प्राप्त सद्भावना (गुडविल) या पूंजी आरक्षित में समाहित थी, तदनुसार पहली बार अपनाने वाला सद्भावना (गुडविल) की वहन राशि को कम करेगा या रिजर्व राशि की वहन राशि को बढ़ाएगा (और यदि लागू हो, आस्थगित कर एवं गैर-नियंत्रित ब्याज को समायोजित करेगा)।

पैरा 8 में दिए गए तथ्यों के अनुसार, इकाई ने अंतर्निहित तेल और गैस भंडार का उपयोग करने के अधिकारों का लाभ उठाने के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान किया है। हालाँकि, चूँकि उस समय बहीखातों में अधिकारों को दर्ज नहीं किया गया था, सद्भावना (गुडविल) के मूल्य ने उस अमूर्त संपत्ति के मूल्य को कम कर दिया था जिसे अब बहीखातों में अलग से दर्ज किया जाना चाहिए। इसलिए, सद्भावना (गुडविल) का मूल्य तदनुसार कम हो जाएगा।

हालाँकि, इस बात की परवाह किए बिना कि सद्भावना (गुडविल) को नुकसान होने संबंधी कोई संकेत है, पहली बार अपनाने वाला भारतीय लेखांकन मानक 36 को भारतीय लेखांकन मानक में संक्रमण की तिथि पर सद्भावना (गुडविल) की जांच और प्रतिधारित आय में किसी भी परिणामी नुकसान को पहचानने में (या, यदि भारतीय लेखांकन मानक 36 द्वारा पुनर्मूल्यांक अधिशेष में आवश्यक हो) लागू करेगा। **हानि जांच भारतीय लेखांकन मानक की तिथि पर शर्तों के अधीन होगा।** कोई अन्य समायोजन (जैसे- सद्भावना (गुडविल) का पूर्व परिशोधन) भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन की तिथि पर सद्भावना (गुडविल)/ पूंजी रिजर्व की वहन राशि के लिए नहीं किया जाएगा।

हालाँकि, एक बाद जब सद्भावना (गुडविल) को आरंभिक संक्रमण तिथि बैलेंस शीट में दर्ज कर दिया जाता है तो इकाई को भारतीय लेखांकन मानक के प्रावधानों का पालन करना पड़ता है, जिसमें कहा गया है कि सद्भावना (गुडविल) को परिशोधित नहीं किया जाता है बल्कि किसी नुकसान हेतु उसकी वार्षिक जांच की जाती है।

तदनुसार, भारतीय लेखांकन मानक को लागू करने के बाद 'उत्पादन इकाई' पद्धति के आधार पर सद्भावना (गुडविल) का परिशोधन उचित नहीं है।

4.7 विदेश में संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई स्थापित करने के लिए, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत औपचारिकताएं

एक भारतीय नागरिक भारत के बाहर संयुक्त उद्यम (JV) या पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (WOS) के इक्विटी शेयरों और अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयरों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कर सकता है। हालाँकि, भारतीय नागरिक द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा आरबीआई द्वारा निर्धारित की जाती है।

भारत के बाहर निवेश करने के दो तरीके हैं:

भारत के बाहर प्रत्यक्ष निवेश का तरीका

(1) भारत के बाहर प्रत्यक्ष निवेश या वित्तीय प्रतिबद्धता का स्वचालित मार्ग

विदेशी मुद्रा प्रबंधन (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) (संशोधन) विनियम, 2004 के नियम 6 के अनुसार, एक **भारतीय पक्ष को** विदेशी संयुक्त उद्यमों (जेवी)/ पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों (डब्ल्यूओएस) में निवेश करने/ वित्तीय प्रतिबद्धता की **अनुमति**, रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा के अधीन, दी गई है।

03 जुलाई 2014 से, यह निर्णय लिया गया है कि **एक वित्त वर्ष में 1(एक) बिलियम (या इसके समकक्ष) से अधिक की किसी भी वित्तीय प्रतिबद्धता के लिए रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी**, भले ही भारतीय पक्ष की कुल वित्तीय प्रतिबद्धता स्वचालित मार्ग के तहत

योग्य सीमा में क्यों न की जा रही हों [यानी, अंतिम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार निवल मूल्य(प्रदत्त पूंजी + फ्री रिज़र्व) के 400% से कम]।

निवेश/ वित्तीय प्रतिबद्धताओं की आवश्यकताएं: स्वचालित मार्ग के तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए मानदंड इस प्रकार हैं:

- i. **भारतीय पक्ष** मेज़बान देश के कानून के अनुसार अनुमत किसी भी **प्रमाणिक गतिविधि** के लिए संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में अपनी निवल संपत्ति (अंतिम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार) की **निर्धारित सीमा तक** निवेश कर सकती है। निवल मूल्य की तुलना में निर्धारित सीमा वहां लागू नहीं होगी जहां निवेश भारतीय पक्ष के ईईएफसी खाते की राशि से या एडीआर/ जीडीआर (ADRs/GDRs) के माध्यम से जुटाई गई निधि से किया गया हो;
- ii. भारतीय पक्ष क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमि. (सिबिल)/ आरबीआई द्वारा प्रकाशित/ परिचालित बैंकिंग प्रणाली के लिए **रिज़र्व बैंक के निर्यातक की सतर्कता सूची/ बकाएदारों की सूची** या रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किसी अन्य क्रेडिट सूचना कंपनी या प्रवर्तन निदेशालय या किसी अन्य जांच एजेंसी या नियामक प्राधिकरण के जांच के अधीन न हो।
- iii. **भारतीय पक्ष** जेवी/ डब्ल्यूओएस (JV/WOS) में निवेश से संबंधित **सभी लेन-देन** को भारतीय पक्ष द्वारा **नामित अधिकृत डीलर की केवल एक शाखा के माध्यम से** रूट करती हो।

प्रक्रिया: भारतीय पक्ष को ऐसे निवेशों के लिए प्रेषण को प्रभावी करने हेतु **फॉर्म ओडीआई में आवेदन और निर्धारित संलग्नकों/ दस्तावेजों के साथ** प्राधिकृत व्यापारी से संपर्क करना चाहिए। भारतीय पक्षों द्वारा विदेश में जेवी/ डब्ल्यूओएस (JV/WOS) में **विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) के माध्यम से** निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता) को भी स्वाचालित मार्ग के तहत अनुमति दी जाती है यदि भारतीय पक्ष रिज़र्व बैंक की सतर्कता सूची में न हो या प्रवर्तन निदेशालय के जांच के अधीन न हो या रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित / रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किसी अन्य क्रेडिट सूचना कंपनी द्वारा बैंकिंग प्रणाली के बकाएदारों की सूची में न हो।

(2) भारत के बाहर प्रत्यक्ष निवेश या वित्तीय प्रतिबद्धता हेतु अनुमोदन मार्ग

- (i) विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता) के अन्य सभी मामलों में **रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।**
- (ii) रिज़र्व बैंक, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे आवेदनों पर विचार करते समय **निम्नलिखित कारकों** को ध्यान में रखेगा:
 - (क) भारत के बाहर जेवी/ डब्ल्यूओएस की **प्रथम दृष्टता व्यवहार्यता;**
 - (ख) **बाहरी व्यापार में योगदान और अन्य लाभ** जो ऐसे निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता) के माध्यम से भारत को होंगे;
 - (ग) भारतीय पक्ष और विदेशी संस्था की **वित्त स्थिति एवं कारोबार का ट्रैक रिकॉर्ड;** और
 - (घ) भारत के बाहर जेवी/ डब्ल्यूओएस के **जैसी या संबंधित गतिविधियों में भारतीय पक्ष**

की विशेषज्ञता एवं अनुभव।

इसलिए, अनुमोदन मार्ग के तहत (प्रस्तावित स्वचालित मार्ग के अंतर्गत शर्तों के अंतर्गत नहीं आते हैं) रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी। जिसके लिए फॉर्म ओडीआई में निर्धारित दस्तावेजों के साथ एक विशिष्ट आवेदन प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 के माध्यम से किया जाना आवश्यक है।

05 अगस्त 2013 से प्रभावी, **भारतीय नागरिक** (अकेले या किसी अन्य नागरिक के साथ या अधिसूचना में परिभाषित, ' भारतीय पक्ष' के साथ) अधिसूचना की अनुसूची V के अनुसार, मानदंडों को पूरा करता है, भारत के बाहर संयुक्त उद्यम (जेवी) या पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) के इक्विटी शेयरों और अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयरों में **विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कर सकता है।** नागरिक द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित उदारीकृत प्रेषण योजना के प्रावधानों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समग्र सीमा के भीतर होगी।

4.8 विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत किसी मौजूदा कंपनी के शेयरों को प्राप्त करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

1. विदेशी मुद्रा प्रबंधन (अनुमेय पूंजी खाता लेनदेन) विनियम, 2000 के विनियम 3 (1) (ए) की अनुसूची I, भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति देता है। इस प्रकार, भारत में रहने वाला व्यक्ति विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश करने का पात्र है।
2. विदेशी मुद्रा प्रबंधन (अनुमेय पूंजी खाता लेनदेन) विनियम, 2000 के 4 के विनियम के अनुसार, अनुमत पूंजी खाता लेनदेन करने के लिए प्रति वित्त वर्ष 2,50,000 अमेरिकी डॉलर की राशि का उपयोग किया जा सकता है।
3. विदेशी मुद्रा प्रबंधन (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) (संशोधन) विनियम, 2004 के नियम 6 के अनुसार, एक भारतीय पक्ष को विदेशी संयुक्त उद्यमों (जेवी)/ पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों (डब्ल्यूओएस) में रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमा के अनुसार, निवेश करने/ वित्तीय प्रतिबद्धता करने की अनुमति दी गई है।

उसके अनुसार, किसी वित्त वर्ष में 1 (एक) बिलियन अमेरिकी डॉलर (या इसके समकक्ष) से अधिक की वित्तीय प्रतिबद्धता हेतु रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति लेनी होगी, तब भी जब भारतीय पक्ष द्वारा निवेश स्वचालित मार्ग की योग्य सीमा में किया जा रहा हो [यानि, अंतिम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार निवल मूल्य के 400% के भीतर (प्रदत्त पूंजी + फ्री रिजर्व)]।

केस स्टडी - 5

केस के तथ्य:

1. एचवी (HV) कंपनी लिमिटेड (अब से एचवीसीएल/ HVCL कहा जाएगा), निर्माण उद्योग के लिए भारी उपकरणों का निर्माण करती है।
2. एबी इंफ्रा लिमि. (अब से एबीआईएल/ ABIL) से उसे 90 उपकरणों (टी-मोड डंपर्स) की आपूर्ति का ऑर्डर मिला था। प्रत्येक उपकरण के लिए 190 लाख रु. प्रति इकाई मूल्य पर सहमति हुई थी। वर्ष 2017-18 के

दौरान 64 उपकरणों की आपूर्ति कर दी गई थी और 31.03.2018 तक शेष उपकरणों की आपूर्ति की जानी थी। 31.03.2018 तक एचवीसीएल (HVCL) के स्टॉक में 51* उपकरण थे। एचवीसीएल (HVCL) ने माना कि यह अनुबंध एक भारग्रस्त अनुबंध है, इसलिए स्टॉक के शुद्ध वसूली योग्य मूल्य को 31.3.2018 को स्टॉक के मूल्य के रूप में लिया गया। आपूर्ति ऑर्डर के शर्तों में से एक शर्त थी कि आपूर्ति की तिथि से दो वर्ष की अवधि के दौरान आपूर्ति किए गए उपकरणों में होने वाली तकनीकी खराबी की वारंटी आपूर्तिकर्ता देगा।

3. उत्पादन लागत और बिक्री लागत के विवरण से, एचवीसीएल (HVCL) के लेखापरीक्षकों द्वारा यह बताया गया कि अनुबंध को पूरा करने की लागत इस अनुबंध से होने वाले अपेक्षित आर्थिक लाभ से अधिक हैं। इसलिए, यह अनुबंध भारग्रस्त है और इसके लिए प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है।
4. एचवीसीएल (HVCL) प्रबंधन ने लेखापरीक्षकों को उत्तर दिया कि भारतीय लेखांकन मानक 37 एक भारग्रस्त अनुबंध को ऐसे अनुबंध के रूप में परिभाषित करता है जिसमें अनुबंध के तहत दायित्व को पूरा करने की अपरिहार्य लागत अनुबंध से प्राप्त होने वाले अपेक्षित आर्थिक लाभ से अधिक हो। एक अनुबंध के तहत अपरिहार्य लागत मुआवजे या जुर्माने के माध्यम से अनुबंध को समाप्त करने की न्यूनतम लागत को दर्शाती हैं। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, यदि ठेकेदार आपूर्ति करने में असफल रहता है तो ग्राहक सुरक्षा जमा को जब्त करने के साथ डिफॉल्ट करने वाले आपूर्तिकर्ता के जोखिम और लागत पर उपकरण की खरीद कर सकता है। प्रसंग के अनुसार, अनुबंध जारी अनुबंध है, इस प्रकार की लागत की गणना नहीं की जा सकती है। अपरिहार्य लागत में लागत का आवंटित हिस्सा शामिल नहीं होता है, इस बात की परवाह किए बगैर कि इकाई अनुबंध पूरा कर पाती है या नहीं। इसके अलावा, अन्य व्यय जैसे प्रशासनिक खर्च, आरएंडडी, वित्त प्रभार, मुख्यालय खर्च, बिक्री खर्च आदि अवधि लागत प्रकृति के हैं और उक्त विक्रय आदेश से संबंधित इन व्ययों का प्रयोजन विक्रय आदेश प्राप्त होने के साथ ही वर्ष 2017-18 में पूर्ण हो चुका है। इसलिए यहां भारतीय लेखांकन मानक 37 का गैर-अनुपालन नहीं किया गया है।
5. भारतीय लेखांकन मानक 37, 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां' भारग्रस्त अनुबंध को इस प्रकार परिभाषित करती है, " ऐसा अनुबंध जिसमें अनुबंध के तहत दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागत इससे प्राप्त होने वाले अपेक्षित आर्थिक लाभ से अधिक हो"। इसके अलावा, भारतीय लेखांकन मानक 37 के अनुसार, "अनुबंध के तहत अपरिहार्य लागत अनुबंध को समाप्त करने की न्यूनतम शुद्ध लागत को दर्शाती है जो इसे पूरा करने की लागत और इसे पूरा करने में विफलता के कारण दिए जाने वाले किसी भी मुआवजे या जुर्माने की राशि से कम हो।" कंपनी का मानना था कि अनुबंध के तहत दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागतें केवल वे लागतें हैं जो: "अनुबंध के साथ प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तनशील हैं और इसलिए अनुबंध के पूरा करने के लिए वृद्धिशील हैं;" इस बात की परवाह किए बिना कि इकाई अनुबंध को पूरा कर पाती है या नहीं आवंटित या साझा लागतों को शामिल न करें; और इसे इकाई द्वारा भविष्य में की जाने वाली कार्रवाईयों से बचाया जा सकता।

* 5 के रूप में पढ़ा जाएगा।

6. एचवीसीएल (HVCL) के प्रबंधन ने लेखापरीक्षक को उन लागतों का विवरण प्रदान किया है जिन पर महंगे भारग्रस्त अनुबंध के प्रावधान के निर्माण हेतु विचार किया गया है:
- (क) सामग्री लागत- इसमें सामग्री खरीद लागत, सामग्री खरीद के लिए माल-भाड़ा और बीमा लागत एवं रखरखाव, माल को चढ़ाने और उतारने का शुल्क शामिल होता है।
- (ख) मजदूरी/ फैक्ट्री के खर्च – में वेतन और प्रत्यक्ष उत्पादन विभाग के अन्य खर्चों के साथ अप्रत्यक्ष विभागों से प्रत्यक्ष विभागों को भेजे गए खर्च भी शामिल होते हैं।
- (ग) सामग्री के ऊपरी खर्च (ओवरहेड्स) – इसमें सामग्री से जुड़े विभाग जैसे खरीद, भंडार और गुणवत्ता नियंत्रण, के तहत बुक किए गए खर्च (अन्य विभागों द्वारा आवंटित खर्चों सहित) होते हैं।
7. उपरोक्त लागत को ध्यान में रखते हुए ही प्रावधान किए गए हैं। जैसे, उत्पादित किए जाने वाले शेष 21 उपकरणों के लिए प्रावधान का मूल्य इस प्रकार है:

विवरण	मान (लाख रु. में)
(i) उत्पादन लागत (सामग्री की लागत, मजदूरी/ फैक्ट्री के खर्च और सामग्री के ऊपरी खर्च शामिल होंगे)	199.00
(ii) बिक्री मूल्य	190.00
(iii) प्रति उपकरण 9 लाख रु. की विभेदक लागत (उत्पादित किए जाने वाले शेष उपकरणों की संख्या- 21)	189.00
(iv) प्रशासनिक खर्च, वित्त प्रभार, आरएंडडी खर्च, बिक्री खर्च, मुख्यालय खर्च आदि के मद में किए गए खर्च, को आवधिक लागत माना जाता है और इसलिए प्रावधान करते समय इन पर विचार नहीं किया जाता है।	

8. एचवीसीएल (HVCL) ने निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए कर योग्य आय की गणना की है, सामान्य प्रावधानों के तहत शून्य रुपयों की आय घोषित की है और 8.56 करोड़ रु. के लाभ को आयकर अधिनियम 115 जेबी (JB) के तहत दर्शाया है। रिटर्न में आयकर के सामान्य प्रावधानों के तहत कंपनी द्वारा लौटाई जाने वाली हानि 5.23 करोड़ रु. की थी।

निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर दें

बहुवैकल्पिक प्रश्न

- 5.1 115जेबी (JB) के प्रावधानों के तहत, बहीखाते के लाभ पर लागू आयकर की मूल दर है:
- (क) 15%
- (ख) 18.5%
- (ग) 22.5%
- (घ) 25%
- 5.2 धारा 115जेबी (JB) के प्रावधानों के अंतर्गत आने वाली कंपनी को चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट अपलोड करनी होती है:
- (क) फॉर्म-3सीए

- (ख) फॉर्म-3सीईबी
(ग) फॉर्म-15सीबी
(घ) फॉर्म-298
- 5.3 भारतीय लेखांकन मानक 37 के अनुसार, एक कानूनी बाध्यता होती है:
- (क) कानून से
(ख) अनुबंध से (उसके विशेष या अंतर्निहित शर्तों के माध्यम से)
(ग) किसी भी लागू कानून से।
(घ) कानून से या अनुबंध से या कानून के किसी अन्य संचालन से।
- 5.4 खाता लाभ की गणना में, निम्न के संबंध में कटौती की अनुमति है:
- (क) अग्रेषित व्यापार हानि को प्रकट करना
(ख) अनवशेषित मूल्यहास
(ग) अग्रेषित व्यापार हानि या अनवशेषित मूल्यहास, जो भी कम हो, को प्रस्तुत करना।
(घ) अग्रेषित व्यापार हानि या अनवशेषित मूल्यहास, जो भी अधिक हो, को प्रस्तुत करना।
- 5.5 भारतीय लेखांकन मानक 37 के अनुसार, एक इकाई पहचान करेगी:
- (क) एक प्रावधान में, पिछली घटना के परिणामस्वरूप, एक इकाई पर वर्तमान देयता (कानूनी या रचनात्मक) हो; यह संभव है कि देयता के निपटान हेतु आर्थिक लाभों से युक्त संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता हो और देयता राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।
(ख) एक प्रावधान में, पिछली घटना के परिणामस्वरूप, किसी भी वर्तमान देयता (कानूनी या रचनात्मक) के बावजूद; यह संभव है कि देयता के निपटान हेतु आर्थिक लाभों से युक्त संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता हो और देयता राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।
(ग) आकस्मिक देयता
(घ) आकस्मिक परिसंपत्ति

(2 x 5 = 10 अंक)

वर्णनात्मक प्रश्न

- 5.6 क्या भारगस्त अनुबंध के प्रावधान निर्माण हेतु लागत का कंपनी का लेखांकन कार्य भारतीय लेखांकन मानक 37 के प्रावधानों के अनुरूप है? (6 अंक)
- 5.7 कृपया बताएं कि निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए एचवीसीएल (HVCL) द्वारा कर योग्य आय की गणना करने में बहीखातों में किए गए भारगस्त अनुबंध के प्रावधान का निपटान कैसे किया जाना चाहिए? (5 अंक)
- 5.8 कृपया यह भी स्पष्ट करें कि निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए एचवीसीएल (HVCL) कर योग्य आय की गणना में एबीआईएल (ABIL) को किए गए उपकरणों की आपूर्ति में वारंटी खंड पर किस प्रकार विचार करेगा? (4 अंक)

केस स्टडी 5 के उत्तर

भाग – क

- 5.1 (क) या (ख)

ध्यान दें - मई 2022 परीक्षा के लिए प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष निर्धारण वर्ष 2022-23 है जिसके लिए धारा 115जेबी के तहत लागू दर 15% है। तदनुसार, (क) सही उत्तर होगा। हालांकि, केस स्टडी में आंकड़े वित्त वर्ष 2017-18 के दिए गए हैं, जब दर 18.5% थी। तदनुसार, उत्तर (क) या (ख) हो सकता है।

5.2 (घ)

5.3 (क) या (ख) या (ग) या (घ) [सभी विकल्प सही हैं]

5.4 (ग)

5.5 (क)

भाग- ख

5.6 भारतीय लेखांकन मानक 37 के अनुसार, एक भारग्रस्त अनुबंध वह अनुबंध होता है जिसमें अनुबंध के तहत देयताओं को पूरा करने की अपरिहार्य लागत इससे प्राप्त होने वाले अपेक्षित आर्थिक लाभों से अधिक हो। एक अनुबंध के तहत अपरिहार्य लागत अनुबंध से बाहर निकलने की न्यूनतम शुद्ध लागत को बताती है जो इसे पूरा करने की लागत और इसे पूरा न कर पाने पर लगाए जाने वाले जुर्माने या मुआवज़े से कम होती है।

भारतीय लेखांकन मानक 37 कहता है कि, स्वीकृत राशि वर्तमान देयता को निपटाने हेतु आवश्यक व्यय का सबसे अच्छा अनुमान होगा, जो कि वह राशि है जिसका भुगतान एक इकाई रिपोर्टिंग अवधि के अंत में देयता के निपटान हेतु यथोचित रूप से करेगी या उस समय इसे किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करेगी। भारग्रस्त अनुबंधों के मामले में, वह राशि जिसका भुगतान एक इकाई यथोचित रूप से देयता के निपटान के लिए करेगी, अनुबंधों को पूरा करने में असफल होने के कारण लगाए जाने वाले जुर्माना या देय मुआवज़े की राशि से कम होगी और इस अनुबंध से प्राप्त होने वाले अपेक्षित आर्थिक लाभों से अनुबंध के तहत देयता को पूरा करने के अपरिहार्य लागत से अधिक होगी।

एक अनुबंध को पूरा करने की लागत में वे लागतें शामिल होती हैं जो सीधे अनुबंध से संबंधित होती हैं। एक अनुबंध से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित लागतों में निम्न दोनों शामिल हैं -

(क) उस अनुबंध को पूरा करने की वृद्धिशील लागत- जैसे प्रत्यक्ष मजदूरी और सामग्री; और

(ख) अन्य लागतों का आवंटन जो सीधे अनुबंधों को पूरा करने से संबंधित हैं- जैसे, अन्य के साथ संपत्ति, संयंत्र और उस अनुबंध को पूरा करने में प्रयोग किए गए उपकरण के लिए मूल्यहास शुल्क।

तदनुसार, एचवीसीएल (HVCL) ने सामग्री की लागत, मजदूरी लागत (उत्पादन से संबंधित सीमा तक) और सामग्रियों पर किए गए उपरी खर्च (उत्पादन से संबंधित सीमा तक) पर विचार कर भारग्रस्त अनुबंधों के प्रावधान की लागत की उचित गणना की है। हालांकि, इस विभाग को अप्रत्यक्ष विभागों से आवंटित व्यय को भारग्रस्त अनुबंधों के लिए प्रावधान करने के उद्देश्य से लागत की गणना करने से बचना चाहिए।

इसके अलावा, एचवीसीएल (HVCL) इस मामले में सही है कि भारग्रस्त अनुबंधों पर प्रावधान के उद्देश्य से लागत की गणना हेतु अवधि लागत पर विचार नहीं किया जाएगा।

- 5.7 आईसीडीएस एक्स (ICDS X) निष्पादन अनुबंधों के कारण किए जाने वाले प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसंपत्तियों के सौदे करता है।

जबकि भारतीय लेखांकन मानक 37 निष्पादन अनुबंधों की परिभाषा में भारग्रस्त अनुबंधों को शामिल नहीं करता, आईसीडीएस एक्स (ICDS X) में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए जब निष्पादन अनुबंधों को आईसीडीएस एक्स (ICDS X) के दायरे से बाहर रखा गया, तो भारग्रस्त अनुबंध, जो निष्पादन अनुबंधों के दायरे में आते हैं, को भी आईसीडीएस एक्स (ICDS X) के दायरे से बाहर रखा गया। तदनुसार, आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार, एचवीसीएल (HVCL) के कर योग्य आय की गणना करते समय भारग्रस्त अनुबंधों के लिए प्रावधान को कटौती के रूप में स्वीकार करने की अनुमति नहीं है।

15% की दर से (के साथ अधिभार, यदि लागू हो और 4% की दर से एचईसी) न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) की वसूली हेतु धारा 115जेबी के तहत खाता लाभ की गणना के लिए, कुछ देयताओं के अलावा, देयताओं को पूरा करने के लिए किए गए प्रावधानों के लिए निर्धारित राशि को वापस जोड़ा जाएगा।

तदनुसार, बही खाते में किए गए भारग्रस्त अनुबंध हेतु प्रावधान, जैसे एचवीसीएल (HVCL) के लाभ और हानि विवरण में डेबिट किया गया है, को वापस जोड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह निश्चित देयता हेतु प्रावधान का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए मैट (MAT) की वसूली हेतु खाता लाभ की गणना करते समय ऐसे प्रावधान कटौती योग्य हैं।

ध्यान दें - मई 2022 परीक्षा के लिए प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष निर्धारण वर्ष 2022-23 है जिसके लिए धारा 115जेबी के तहत लागू दर 15% है। तदनुसार, (क) सही उत्तर होगा। हालांकि, केस स्टडी में आंकड़े वित्त वर्ष 2017-18 के दिए गए हैं, जब दर 18.5% थी। तदनुसार, उत्तर (क) या (ख) हो सकता है।

- 5.8 आईसीडीएस एक्स (ICDS X) के अनुसार, एक प्रावधान को स्वीकार किया जाना चाहिए, जब:

- (क) अतीत की घटना के कारण व्यक्ति पर वर्तमान देयता हो।
- (ख) यह यथोचित रूप से निश्चित है कि देयताओं के निपटान हेतु आर्थिक लाभों से युक्त संसाधनों के बहिर्प्रवाह की आवश्यकता होगी; और
- (ग) देयता की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। यदि वे आपूर्ति आदेश की शर्तों में से एक यह है कि आपूर्ति की तिथि से दो वर्ष की अवधि के दौरान आपूर्ति किए गए उपकरणों में तकनीकी खराबी के लिए वारंटी हेतु आपूर्तिकर्ता, एचवीसीएल (HVCL) उत्तरदायी होगा।

वारंटी के प्रावधानों को आईसीडीएस एक्स (ICDS X) के अनुसार मान्यता दी जानी चाहिए, यदि यह सांख्यिकीय आंकड़ों से यथोचित रूप से निश्चित है, कि दायित्वों को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों को शामिल करने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी।

यदि वारंटी का प्रावधान वैज्ञानिक एवं विश्वसनीय आधार पर किया जाता है और ऐसी वारंटी के बिना एबीआईएल (ABIL) उपकरण खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा, तो वारंटी बिक्री मूल्य का अभिन्न अंग बन जाएगी और इसलिए, वारंटी का प्रावधान व्यावसायिक व्यय के रूप में स्वीकार्य होगा।

इस मामले में चूंकि वारंटी का प्रावधान आपूर्ति आदेश की शर्तों में से एक है, यह स्पष्ट है कि एबीआईएल (ABIL) ऐसी वारंटी के बिना उपकरण खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा। तदनुसार आयकर अधिनियम 1961, के प्रावधानों के तहत योग्य आय की गणना करते हुए वारंटी का प्रावधान स्वीकार्य है, यह मानते हुए कि यह वैज्ञानिक आधार पर बनाया गया है।

साथ ही, वैज्ञानिक एवं विश्वसनीय आधार पर की गई वारंटी के लिए प्रावधान एक निश्चित देयता है, इसलिए मैट (MAT) वसूली के लिए खाता लाभ की गणना करके समय ऐसे प्रावधान भी स्वीकार्य हैं।